रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 181] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

IndiaCode

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम अंतर्गत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

मोतिहारी, 29 अप्रैल, 2017

सं. 11–1/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1187.—यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 और विश्वविद्यालय परिनियम की 37वीं संविधि में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ने अध्यादेश संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 का निर्माण किया है।

विश्वविद्यालय परिनियम की संविधि 37 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जो अध्यादेश नीचे प्रस्तुत हैं, वे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तुरंत बाद प्रभावी होंगे।

अध्यादेश संख्या 9

कुलसचिव की सेवा परिलब्धियाँ निबंधन एवं शर्तें तथा कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. कुलसचिव एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर सीधी नियुक्ति के आधार पर पाँच वर्षो के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें कार्य परिषद् द्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है (चयन प्रकिया के समुचित अनुपालन उपरांत) और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

 तथापि प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष (विजीटर) द्वारा की जायेगी और वह तीन साल की समयावधि के लिए अपने कार्यालय में सेवारत रहेगा।

 आगे यह कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

2. यदि कुलसचिव सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है, उसकी सेवा की निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होगा । आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कुलसचिव का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

3. जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा जब कुलसचिव रूग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ हों तो उसके पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

4. कुलसचिव को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य आवास की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

5. कुलसचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।

6. कुलसचिव को अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को छोड़कर कार्य परिषद् के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने, जाँच पूरा होने तक निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने अथवा उन पर निंदा दंड अधिरोपित करने या वेतनवृद्धि रोकने का अधिकार होगा। परंतु यह कि :

(क) कोई भी ऐसा दंड तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक उस कर्मचारी को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

(ख) उप–खंड (क) में विनिर्दिष्ट दंड अधिरोपित करते हुए कुलसचिव के किसी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकती है।

(ग) जहाँ जाँच से यह प्रकट होता है कि आरोपित होने वाला दंड कुलसचिव की शक्ति से बाहर है, जाँच के समापन पर कुलसचिव संस्तुतियों के साथ कुलपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आगे यह कि कुलपति के आदेश से अधिरोपित दंड के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील की जा सकती है।

7. कुलसचिव कार्य परिषद् और शैक्षणिक परिषद् का पदेन सचिव होगा, लेकिन इन दोनों प्राधिकरणों का सदस्य नहीं होगा और कुलसचिव कोर्ट का पदेन सदस्य सचिव होगा ।

8. कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि :

(क) रिकार्ड, सामान्य मोहर और कार्य परिषद् द्वारा कुलसचिव को सुपुर्द की गई विश्वविद्यालय की अन्य संपत्ति का अभिरक्षण करना।

(ख) कोर्ट, कार्य परिषद, शैक्षणिक परिषद् और इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों को बुलाने संबंधी सभी नोटिसों को जारी करना ।

(ग) कोर्ट, कार्य परिषद, शैक्षणिक परिषद् और इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्तांत का रिकार्ड रखना ।

(घ) कोर्ट, कार्य परिषद् और शैक्षणिक परिषद् के कार्यालयी पत्राचारों संबंधी कार्य का संचालन ।

(ड.) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची को (उसके जारी होने के तुरंत बाद) और कार्यवृत्ति को अवलोकनार्थ कुलाध्यक्ष (विजिटर) के पास भेजना।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज़ अथवा इसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करना और अभिवचनों का सत्यापन करना अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना, और

(छ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हो अथवा कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर यथा अपेक्षित किया गया हो ।

अध्यायदेश संख्या 10

वित्त अधिकारी की सेवा परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

1. वित्त अधिकारी एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती के आधार पर पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को कार्य परिषद् द्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है (चयन प्रकिया के समुचित अनुपालन उपरांत) और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

तथापि प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाध्यक्ष (विजीटर) द्वारा की जायेगी और वह तीन साल की समयावधि के लिए अपने कार्यालय में सेवारत रहेगा।

2. ज्ञातव्य है कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

3. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी रूग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो उसके पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है।

4. यदि वित्त अधिकारी सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगे। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

5. वित्त अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।

6. वित्त अधिकारी को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

7. वित्त अधिकारी की सेवा, छुट्टी, भत्ता, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के निबंधन और शर्तें वही होंगे जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित किए जाएँगे।

8. वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सदस्य् होगा, लेकिन इस समिति का सदस्य नहीं होगा।

9. वित्त अधिकारी द्वारा :

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह दी जायेगी ।

(ख) कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गए या परिनियम अथवा अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित अन्य वित्तीय कार्यों का उसके द्वारा निष्पादन किया जाएगा।

10. कार्य परिषद् के नियंत्रणाधीन वित्त अधिकारी के निम्नालिखित दायित्व भी होंगे –

(क) विश्वविद्यालय के ट्रस्ट (न्यास) और दयानिधि संपत्ति सहित सभी संपत्तियों और निवेशों को संचालित और प्रबंधित करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए निर्धारित आवर्ती और गैर–आवर्ती ब्याज सीमा से अधिक न हो और सभी धनों का व्यय उन्हीं उद्देश्यों के लिए हो जिनके लिए उन्हें स्वीकृत या आबंटित किया जाता है।

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बज़ट के निर्माण के लिए और कार्य परिषद् में इनकी प्रस्तुति का उत्तरदायित्व उस पर होगा।

(घ) नगद और बैंक शेष की स्थिति और निवेशों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखना।

(ड.) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर निगरानी रखना और प्रयोग में लाए जा रहे संग्रहण तरीकों पर सलाह देना।

(च) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों का अद्यतन रखरखाव किया जाए और सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं के उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्री के स्टॉक की जाँच की जाए।

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की सूचना में लाना और चूक करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देना, और

(ज) किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान से सूचना अथवा विवरणी, जो वह अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यवक समझे, की माँग करना।

11. वित्त अधिकारी द्वारा अथवा कार्य परिषद् द्वारा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय को देय किसी धन के लिए दी गई रसीद के एवज में समुचित भुगतान अर्जित किया जाना।

अध्यादेश संख्या 11

परीक्षा नियंत्रक की सेवा परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

1. परीक्षा नियंत्रक पाँच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसकी नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी। यह पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति को कार्यकारी परिषद् द्वारा समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है (चयन प्रक्रिया के समुचित अनुपालन उपरांत)। उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

2. परंतु यह कि परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

3. जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी रूग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

4. यदि परीक्षा नियंत्रक सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगे। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

5. जहाँ इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान/सरकार और इसके संगठनों के किसी कर्मचारी को परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया जाता है, तो वह परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के पूर्व जिस सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना की पात्रता रखता था, उसी योजना (जैसे सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान (ग्रेच्युटी)/स्थानांतरण यात्रा भत्ता) से शासित होता रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर अपना पुनर्ग्रहणाधिकार जारी रखता है।

6. परीक्षा नियंत्रक को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

7. परीक्षा नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।

8. परीक्षा नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा।

9. परीक्षा नियंत्रक संबद्ध अध्यादेशों द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का व्यवस्थापन और अधीक्षण करेगा।

10. अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन परीक्षा नियंत्रक उन कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा जो कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर परीक्षा नियंत्रक को सौंपा जाए।

अध्यादेश संख्या 12

पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

1. पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी। यह पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति को कार्यकारी परिषद् द्वारा समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

2. पुस्तकालय अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान और भत्तें प्रदान किये जाएंगे।

3. पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा।

4. यदि पुस्तकालय अध्यक्ष सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगे। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी को निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

5. पुस्तकालय अध्यक्ष को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

6. पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।

7. पुस्तकालय अध्यक्ष संबद्ध अध्यादेशों द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का व्यवस्थापन और अधीक्षण करेगा।

8. अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन परीक्षा नियंत्रक उन कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा जो कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर पुस्तकालय अध्यक्ष को सौंपे जाएँगे।

अध्यादेश संख्या 13

शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों के लिए सेवा और आचार संहिता के नियम और शर्तें

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से तात्पर्य प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों या असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य लोगों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी कॉलेज या संस्था में अनुदेश प्रदान करने या शोधपरक कार्यों में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है और जो अध्यादेशों के द्वारा शिक्षकों के रूप में मनोनीत किये जाते हैं।

2. विश्वविद्यालय का एक शिक्षक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होगा और अपना पूरा समय वह विश्वविद्यालय की सेवा में लगाएगा/लगाएगी और अपने स्थान पर किसी सम्मानित, अभ्यागत, अंशकालिक और तदर्थ शिक्षकों को शामिल नहीं करेगा/करेगी।

 (क) कार्य परिषद् की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेतन या मानदेय से जुड़े, अन्य किसी व्यवसाय या व्यापार में या निजी ट्यूशन में या अन्य किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा/होगी।

(ख) आगे सूच्य है कि कुलपति की आज्ञा से, शिक्षकों को विश्वविद्यालय की परीक्षा से संबंधित, या शैक्षणिक संस्था, लोक सेवा आयोग, अन्य साहित्यिक कार्य, प्रकाशन रेडियो/टेलीविजन वार्ता, विस्तृत व्याख्यान या, अन्य अकादमिक कार्य, करने की अनुमति होगी।

(ग) आगे कहा गया है कि शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसंधान, प्रकाशन, परामर्श और प्रबंधन, कार्यकारी विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सहभागी होने के लिए, विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन से, प्रोत्साहित किया जाएगा।

कर्तव्यों के प्रकार—

3. संपर्क घंटी की अवधि में शिक्षकों के काम का बोझ, परिसर में उपस्थिति और शिक्षण, शोध, परीक्षा, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास, एवं अध्ययन की तैयारी से संबंधित गतिविधियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी।

4. शैक्षणिक संगठनों, निर्धारित अध्ययनों के पाठ्यक्रम और प्रभावी शिक्षण से जुड़े अन्य कार्य जैसे विकास, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, प्रयोगाशला और क्षेत्रीय कार्य, ट्यूटोरियल छात्रों की परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित कार्य, कक्षा में अनुशासन का रख रखाव छात्रों के कल्याण से संबंधित कार्य इत्यादि शिक्षकों के प्राथमिक कर्तव्य होंगे।

5. अध्ययन के नियोजित पाठ्यक्रमों के शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे शोध प्रकाशन, विकास, अकादमिक संस्कृति आदि को बढ़ावा देने में अत्यन्त सच्चे मन से और उत्सुकता से सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक परंपराओं में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे।

6. शिक्षक विश्वविद्यालय के विभाग, (बोर्ड ऑफ स्टडीज) स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और कार्य परिषद् के निर्णय मानने को बाध्य होंगे और वे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष के सामान्य दिशा, निर्देशन और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

7. प्रत्येक शिक्षक, समय—समय पर बनने वाले, अधिनियम के पत्रों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की अनिवार्य गतिविधियों में भाग लेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। हर शिक्षक विश्वविद्यालय की ऐसी गतिविधियों में भाग लेगा और विश्वविद्यालय में इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि अधिनियम, पत्र और अध्यादेशों के अनुसार, जो समय—समय पर बनते हैं, उसके लिए आवश्यक होगा।

8. प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होगा और किसी विशेष स्कूल/विभाग/केन्द्र में उसकी वर्तमान नियुक्ति विश्वविद्यालय की वर्तमान जरूरत और आवश्यकता के अनुसार होगी। विश्वविद्यालय अपने स्कूलों/विभागों और केन्द्रों को बदलती जरूरतों, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर स्थापित करने, रद्द करने, पुनः संयोजित करने और पुनर्नामित करने का अधिकार रखेगा और विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित के अनुसार, किसी भी समय शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्ति का स्थान बदल देगा।

परिवीक्षा (परख अवधि)

9. शिक्षकों को आमतौर पर बारह महीनें की अवधि के लिए परिवीक्षा (परख अवधि) पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की कुल अवधि 24 महीनें से अधिक नहीं होगी। अधिनियम 19 के अन्तर्गत आने वाली शर्तों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर परिवीक्षा की शर्तें लागू नहीं होगी।

सत्यापन (पुष्टिकरण)

10. यह कुलसचिव का दायित्व होगा कि वह शिक्षक के परिवीक्षा (परख अवधि) के सत्यापन पत्र का कागज, कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें, परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के 40 दिन पहले।

11. कार्य परिषद् के पास यह अधिकार होगा कि वह शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा या उसे सुनिश्चित नहीं करेगा या उसके परिवीक्षा की अवधि को बढ़ायेगा, लेकिन परिवीक्षा की अवधि किसी भी स्थिति में 24 महीनें से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे सूच्य है कि शिक्षक की नियुक्ति का सत्यापन न करने का निर्णय कार्य परिषद् के उपस्थित सदस्यों और वोटिंग करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा।

12. यदि कार्य परिषद् ने एक शिक्षक की नियुक्ति को, उसकी परिवीक्षा के 24 महीने की अवधि समाप्त होने के पहले, या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत से पहले, या जो भी मामला हो सत्यापित नहीं करने का फैसला किया हैं, तो उस शिक्षक को इसकी लिखित सूचना तत्काल प्रभाव से उस अवधि की समाप्ति के 30 दिन के भीतर दी जाएगी।

वेतन वृद्धि

13. प्रत्येक शिक्षक के वेतन में वृद्धि नियमों के अनुसार होगी, जब तक कि कार्य परिषद् के निर्णय द्वारा इसे रोका या स्थापित न किया जाए। एक शिक्षक जिसकी वेतन वृद्धि को स्थगित या रोकने का प्रस्ताव रखा गया है उसे अपनी बातें लिखित रूप में रखने का अवसर दिया जाएगा।

करियर एडवांसमेन्ट द्वारा पदोन्नति

14. विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की पदोन्नति, करियर एडवांसमेन्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रचलित और समय–समय पर संशोधित मानकों/अधिनियमों के द्वारा अनुदेशित होगी।

सेवानिवृत्ति की उम्र

15. अधिनियम 25 के प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्थायी पद पर चयनित शिक्षक तब तक अपनी सेवा जारी रखेगा जब तक भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त न कर ले।

(क) परन्तु यदि किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की समय सीमा शैक्षणिक सत्र के दौरान ही समाप्त हो जाती है तो, इस बात को ध्यान में रखकर कि एक विभाग/केन्द्र का शिक्षण कार्य बाधित न हो, कार्य परिषद्, कुलपति की संस्तुति से, उस शिक्षक को शैक्षणिक सत्र के अंत तक की किसी भी अवधि तक के लिए पुनर्नियुक्त कर सकता है।

(ख) परन्तु विशेष मामलों में एक शिक्षक के सेवानिवृत्ति हो जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गये नियमों के आधार पर पुनः उसे संविदा पर पुनर्चयनित किया जाएगा।

व्यावहारिक आचार संहिता

16. प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियमों कानूनों/अध्यादेशों, नियमों और विनियमों और आचार संहिता को मानने को बाध्य होगा।

(क) आगे सूच्य है कि एक शिक्षक की नियुक्ति के पश्चात उसके सेवा नियमों और शर्तों में उसके पदनाम, वेतनमान, वेतन वृद्धि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा की समाप्ति, अवकाश, अवकाश का वेतन और सेवानिवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ताकि उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

17. विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनायी गयी आचार संहिता का पालन करेगा। जहाँ तक सामान्य नियमों का संबंध है तो निम्नलिखित गलतियाँ/एक विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए संगठित कदाचार के रूप में आएंगी।

(क) कुलपति द्वारा, स्कूल बोर्ड द्वारा, संकायाध्यक्ष द्वारा, कोई बोर्ड ऑफ स्टटीज द्वारा या विभाग द्वारा सौपी गई जिम्मेदारियाँ जैसे अध्ययन के पाठ्यक्रमों को पढ़ाना, शोध पर्यवेक्षण करना या अन्य प्रशासनिक और सह पाठ्यचर्या परक गतिविधियों को करने से, शब्दों या कार्यों के माध्यम से अस्वीकार।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा उसे समय–समय पर सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभानें में गलती करना या उपेक्षा करना या लापरवाही करना।

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, शैक्षणिक संस्थाओं या पदाधिकारियों के निर्णय को मानने से अस्वीकार करना।

(घ) व्यक्तिगत और पेशेगत नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन न करना, शब्दों के प्रचलित अर्थों, व्याख्याओं और अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी तरह की साहित्यक चोरी में शमिल होना।

(ङ) निम्न गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्नता–

(i) परिसर के शान्ति और सामंजस्यपूर्ण सामुदायिक जीवन को भंग करना और अन्य छात्रों कर्मचारियों और बाहरी लोगों को, छात्रों सहकर्मियों प्रशासन तथा परिसर के खिलाफ उकसाने में सहभागिता करना।

(ii) परिसर में सांप्रदायिकता घृणा और हिंसा फैलाना तथा जाति, पंथ, धर्म, जाति या लिंग पर अपमानजनक टिप्पणी करना।

(iii) ऐसे कामों और गतिविधियों में संलग्नता जो विश्वविद्यालय के हितों से टकराता हो।

(च) इन अध्यादेशों में निहित कोई भी बातें, अपने भाषण और लेखन में सार्वजनिक मंच पर या सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में सिद्धांतों के विषय में अपने अलग मत व्यक्त करने के शिक्षक के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

त्यागपत्र

18. एक शिक्षक किसी भी समय विश्वविद्यालय को लिखित रूप में सूचना देकर या विश्वविद्यालय को तीन महीने का वेतन देकर विश्वविद्यालय के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर सकता है।

19. सूचना की अवधि, परिवीक्षार्थी, संविदात्मक, अस्थायी और तदर्थ शिक्षकों के संबंध में या उनके वेतन के संबंध में एक महीने की होगी।

20. आगे बताया गया है कि, कार्य परिषद् अपने विवेक पर इस सूचना की अनिवार्यता को छोड़ सकती है।

लिखित अनुबंध

21. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की अधिदेशित धारा 33 (1) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय प्रत्येक के साथ एक लिखित अनुबंध करेगा जिसका प्रारूप इस अध्यादेश संलग्नक 1 में दिया गया हैं और जिसमें समय–समय पर सुधार होते रहते हैं।

भौक्षणिक दिवस, कार्यभार और अवका□ा के नियम

22. शैक्षणिक दिनों, कार्यभारों और अवकाश से संबंधित नियम और शर्तें, समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित होगी।

पुनर्नियुक्त पें□ान भोगियों के वेतन का निर्धारण–

23. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।

□ाक्षकों का वरिष्ठता क्रम–

24. यह कुलसचिव का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का जिन पर इस अध्यादेश की शर्तें लागू होती हैं, एक पूर्ण और तात्कालिक वरिष्ठता क्रम की सूची इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करे और उसे व्यवस्थित करें।

25. शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित होगा। शिक्षकों का वरिष्ठता क्रम निर्धारित करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा।

(क) हर वर्ग में वरिष्ठता क्रम का निर्धारण व्यक्ति के उस वर्ग में नियुक्ति के दिन से दी जाने वाली अनवरत सेवा के आधार पर होगा।

(ख) यदि चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक एक समान पद के लिए किसी दूसरे विभाग/केन्द्र, या विश्वविद्यालय के किसी स्कूल में नियुक्त किया जाता है/जाती हैं तो उसका वरिष्ठता क्रम विश्वविद्यालय में समान पद पर उसकी स्थायी नियुक्ति के दिन से गणना के आधार पर होगा।

(ग) यदि चयन समिति द्वारा एक ही दिन में दो या दो से अधिक शिक्षकों को चयनित किया जाता हैं तो चयन समिति के पास यह विशेषाधिकार होगा कि वह चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर उनका वरिष्ठता क्रम निर्धारित करें और यही आधार सेवा में उनका वरिष्ठता क्रम निर्धारित करने में भी प्रयुक्त होगा।

(घ) नियुक्त/पदोन्नत शिक्षकों के वरिष्ठता क्रम का निर्धारण करियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों/नियमों/और मानकों के अनुसार होगा। यदि करियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत किसी शिक्षक को दूसरे उच्च ग्रेड/पद में प्रोन्नत किया जाता है तो उस उच्च ग्रेड/पद में उनका वरिष्ठता क्रम उनके इस अगले ग्रेड/पद में प्रोन्नति के लिए पात्रता की तिथि सें माना जाएगा। यदि एक शिक्षक अभ्यर्थी प्रोन्नति से इंकार कर देता है तो उसका वरिष्ठता क्रम उनकी अगली योग्यता के तिथि से माना जाएगा।

(ङ) यदि किसी विशेष ग्रेड या पद पर दो या दो से अधिक व्यक्ति समान समय से कार्यरत हैं और किसी व्यक्ति की वरिष्ठता यदि संदेह के घेरे में है या प्रश्नांकित है तो कुलसचिव किसी व्यक्ति के परामर्श पर या अपनी तरफ से प्रस्ताव के आधार पर इस विष्शय को कार्य परिषद् को सौंप सकता है। कार्य परिषद् का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

(च) संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अध्यपन केन्द्र के निदेशकों और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित प्रधानाध्यापकों के मध्य वरिष्ठता क्रम का निर्धारण, उनके इन पदों पर नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित होगा।

अस्थायी □ाक्षकों की नियुक्तियाँ–

26. अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, स्थायी शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण रिक्त हुए पदों पर होंगी और निम्नलिखित नियमों द्वारा निर्धारित होंगी।

(क) असिस्टेंट प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों के अवकाश ग्रहण करने के कारण रिक्त सीटें असिस्टेंट प्रोफेसरों के संवर्ग में भरी जाएंगी।

(ख) अधिनियम 18 (6) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति के परामर्श से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

(ग) अस्थायी शिक्षक, स्थायी शिक्षकों के स्वीकृत अवकाश की अवधि तक सेवा में रहेंगे। किसी भी स्थिति में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति चयन समिति की संस्तुति के बिना अपनी अस्थायी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद, सेवा में नहीं बना रहेगा या किसी अन्य पद/पदों में उसे समायोजित नहीं किया जाएगा।

(घ) एक अस्थायी शिक्षक जिसे अवकाश के दौरान कोई सरकारी काम करने से मना किया गया हो, वह उस अवधि में अर्जित की जाने वाली अपनी उपलब्धियों के समतुल्य भुगतान का अधिकारी होगा, और उसकी नियुक्ति अवकाश के अंत तक जारी रखी जाएगी। आगे कहा गया है कि उसने उस शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 180 दिनों तक काम किया हो और उस शैक्षणिक वर्ष के अंतिम दिन तक अपने पद पर नियुक्त रहा हो। लेकिन शर्त यह है कि इस अवधि में वह शिक्षक कही और पारिश्रमिक पर नियुक्त न हुआ हो।

(ङ) अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति भविष्य में विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में प्राथमिकता या शिक्षकों की नियुक्ति में वरिष्ठता, या स्थायी नियुक्ति जैसे अधिकारों की माँग नहीं करेगा।

िक्षकों की पुनर्नियुक्ति–

27. कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय से सेवानिवृत, ज्ञान और अधिगम के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान देने वाले किसी भी शिक्षक को, निम्नलिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनर्नियुक्त कर सकता है।

(क) विश्वविद्यालय का ऐसा शिक्षक जो पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहा है, अपनी पुनर्नियुक्ति की इच्छा, उचित माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति की अवधि से 6 महीने पहले कुलपति को बता सकता है।

(ख) संबंधित विभाग/संस्था के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष अपनी संस्तुति के साथ इसे कुलपति को अग्रसारित करेंगे।

(घ) यदि किसी विभाग का विभागाध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का इच्छुक है तो संबंधित विभाग का संकायाध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ उसका आवेदन पत्र कुलपति को अग्रसारित करेगा।

(ङ) यदि किसी विभाग का संकायाध्यक्ष स्वयं पुनर्नियुक्त होने की इच्छा रखता है तो वह अपना आवेदन पत्र कुलपति को स्वयं देगा/देगी।

(च) पुनर्नियुक्ति का आवेदन पत्र निम्ननिलखित प्रकार का होगा–

(i) सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक का पूरा जीवनवृत्त, जिसमें प्रमुख रूप से अन्तिम पाँच वर्षों की उसकी अकादमिक और अन्य उपलब्धियों का लेखा जोखा, शिक्षण और शोध अनुभव संबंधित सम्मेलनों कार्यशालाओं/सेमिनारों/परिसवादों प्रकाशनों/परिचयों का विस्तृत ब्यौरा सम्मिलित होना चाहिए।

(ii) मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। (विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी से सत्यापित कराने का अधिकार रखेगा)

(छ) पुनर्नियुक्ति की इच्छा रखने वाले शिक्षक का आवेदन पत्र प्रस्ताव और बायोडाटा पुनर्नियुक्ति के लिए प्राप्त हो जाने पर, कुलपति, संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष से या उसी विषय के अन्य किसी विषेशज्ञ से परामर्श करके, उस शिक्षक की पुनर्नियुक्ति के संबंध में अपने विचार का प्रस्ताव कार्य परिषद् के सामने विचार के लिए रखेगा।

(ज) कोई भी शिक्षक पुनर्नियुक्ति होने को अपना अधिकार नहीं मानेगा।

(झ) विश्वविद्यालय के शिक्षक की पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित समग्र समय सीमा के अंतर्गत होगी इसमें विस्तार का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(ञ) पुनर्नियुक्ति को एक स्वस्थ अस्थायी नियुक्ति मानी जाएगा।

(ट) कार्य परिषद् स्वविवेक के आधार पर एक नव–नियुक्त शिक्षक की सेवा उसे एक महीने की लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है।

(ठ) एक पुनर्नियुक्त शिक्षक विभागाध्यक्ष या संकायाध्यक्ष नहीं बन सकता ना ही वह विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होगा और ना उसे कोई प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ दी जाएगी।

(ड) वेतन और अन्य सुविधाएँ, विश्वविद्यालय के शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गये नियमों के अनुसार होगी।

अनुलग्नक – I

िक्षकों और अकादमिक कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला अनुबंध प्रपत्र

[केंद्रीय विभवविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 22(3) अंतर्गत]

लिखित नियुक्ति अनुबंध

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक एवं अकादमिक स्टाफ के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति एक लिखित संविदा पर होगी, जिसका प्रारूप एतद्द्वारा निर्धारित है और इस अध्यादेश में संलग्न हैः

यह अनुबंध 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पत्र पर टंकित किया जाना है और इसकी एक मूल प्रति और दो प्रतिलिपि प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी हैं।

सेवा अनुबंध

इस सेवा अनुबंध के नियम भारतीय गणतंत्र के वर्ष 20..... की दिनांक को निष्पादित होते हैं। यह सेवा अनुबंध पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री जिनकी उम्र है और जो का/की निवासी है, (जिसे इस अनुबंध के तहत आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा) और महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार (जिसे इस अनुबंध के तहत आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा और आगे इसके लिए विश्वविद्यालय पद ही संबोधन में काम आयेगा) के बीच निष्पादित होता है।

धारा 22 (1) के तहत प्रथम पक्षसंकाय अंतर्गत विभाग में के पद पर कार्यरत रहते हुए अग्रांकित निबंधनों और शर्तों के तहत द्वितीय पक्ष अर्थात् विश्वविद्यालय की सेवा करेगा। अब उपस्थित गवाह और पक्ष क्रमशः निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं –

1. प्रथम पक्ष जिसको विश्वविद्यालय और प्राधिकारी के अधीन समय–समय पर उसे कार्य करना है, वह इनके आदेश मानेगा तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (दिनांक)से यहाँ उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अधीन सेवारत रहेगा।

2. प्रथम पक्ष अपना पूरा समय और ध्यान कुशलतापूर्वक और ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगायेगा/लगायेगी और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित उस आचरण संहिता समेत सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी जो आचरण संहिता विश्वविद्यालय की उस शाखा से संबद्ध हो जिसके साथ प्रथम पक्ष संबद्ध है। प्रथम पक्ष को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रदान किये गये कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा।

3. प्रथम पक्ष का पद शिक्षक/अधिकारी की श्रेणी का होगा और नियुक्ति की तिथि से उसकी प्रास्थिति..... (विभाग/केन्द्र/कार्यालय) में.....(पदनाम) की होगी और वह वर्तमान में (विभाग/केन्द्र/कार्यालय) में नियुक्त किया गया है।

4. प्रथम पक्ष यह समझता है और इससे सहमत है कि किसी विशेष संकाय/विभाग/केन्द्र में उसकी वर्तमान नियुक्ति विश्वविद्यालय की मौजूदा जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप है। विश्वविद्यालय अपने संकायों, विभागों और केंद्रों को बदलती जरूरतों, आवश्यकताओं, और परिस्थितियों के अनुसार स्थापित करने, रद्द करने, विलयित करने, पुनर्गठित करने और पुनर्नामित करने का अधिकार रखता है। प्रथम पक्ष इसे स्वेच्छा से स्वीकार करेगा और विश्वविद्यालय के किसी भी स्कूल/विभाग/केन्द्र में अपनी नियुक्ति के विषय में कोई आपत्ति नहीं करेगा।

5. पहले भाग के पक्ष को इस अनुबंध के प्रभावी होने की तिथि सेरु के मूल वेतनमान औररु के ग्रेड पे के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा। प्रथम पक्ष विश्वविद्यालय /सरकार के प्रभावी नियमानुसार सामान्य देय भत्ते का भी हकदार होगा।

6. पहले भाग का पक्ष अपने अनुबंध की अवधि के दौरान उस पर लागू नियमों के अनुसार अवकाश अर्जित करेगा।

7. प्रथम पक्ष के लिए यदि विश्वविद्यालय सेवा के हित में यात्रा करना आवश्यक हो तो वह विश्वविद्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के ऊपर लागू यात्रा भत्ते का अधिकारी होगा।

8. इस अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अधिवर्षिता आयु की अवधि के अंदर तीन महीनों की लिखित अग्रिम नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकता है। आगे सूच्य है कि यदि तीन महीनों का अग्रिम नोटिस न दिये जाने पर अनुबंध तोड़ने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को तीन महीनों में जितने दिन कम पड़ रहे हों, उतने दिन की अवधि के वेतन के समतुल्य राशि देगा।

9. प्रथम पक्ष अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि/पेंशन/नई पेंशन योजना से लाभान्वित होगा।

10. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति विषयक प्रथम पक्ष का कोई भी आवेदन अग्रेषित नहीं किया जायेगा।

11. इस अनुबंध में यदि किसी विषय से संबंधित मामले में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसके संबंध में इस अनुबंध के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 (बी) एवं 313 के अधीन बनाए गए नियमों या बनाए जाने वाले नियमों के प्रावधानों का सम्मान किया जायेगा। और विश्वविद्यालय सेवा के अंतर्गत शिक्षक/अधिकारी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय उस विशिष्ट मामले के संदर्भ में जिन अधिनियमों या नियमों का प्रावधान करेगा वे प्रथम पक्ष की सेवा पर उसी सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक अनुच्छेद 309 (बी) एवं 313 के तहत स्वीकृति होगी और उनके लागू होने की स्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

गवाहों के साक्ष्य में *प्रथम पक्ष*एवं कार्य परिषद के आदेश एवं निर्देश से, उसके लिए और उसकी ओर से कार्यरत कुलसचिव.....*(नाम) यहाँ भारत गणराज्य के वर्ष..... की तिथि को इस अनुबंध पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हैं।*

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर :

उपस्थित गवाह :

गवाह 1

गवाह 2

अध्यादेश संख्या 14

शिक्षक कर्मियों के अवकाश नियम

1. अवकाश विषयक सामान्य नियम

(क) कोई भी शिक्षक अधिकार के रूप में छुट्टी का दावा करने का अधिकारी नहीं है। जब उसकी या उसकी सेवाओं की अपेक्षा होगी तब अवकाश की स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे किसी भी प्रकार की छुट्टी देने से इंकार किया जा सकता है अथवा उसकी स्वीकृत छुट्टी रद्द की जा सकती है।

(ख) यदि किसी शिक्षक को अपनी छुट्टी की समाप्ति से पहले कर्तव्य (ड्यूटी) पर वापस बुलाया जाता है, तो ड्यूटी पर वापसी का यह आदेश सभी मामलों में बाध्यकारी और अनिवार्य माना जाएगा।

(ग) इन नियमों में आये उल्लेखों के अतिरिक्त कर्तव्य (ड्यूटी) पर बिताई समयावधि के मुताबिक ही अवकाश अर्जित किया जाएगा।

(घ) जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती तब तक कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकार की छुट्टी का लाभ लेने का अधिकारी नहीं होगा बशर्ते कि कोई आपात स्थिति न हो या उसके नियंत्रण से बाहर का कोई कारण न हो। इसके अलावा ज्ञातव्य है कि छुट्टी का आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रिम रूप से पहुँचना चाहिए ताकि प्राधिकारी को छुट्टी की मंजूरी देने या छुट्टी के आवेदन को नामंजूर करने का पर्याप्त समय मिल सके।

(ङ) सामान्य नियम के मुताबिक अध्ययन अवकाश, विश्राम अवकाश (सब्बाटिकल लीव), असाधारण अवकाश जैसी दीर्घकालीन छुट्टियों का लाभ कोई शिक्षक शैक्षणिक सत्र के आरंभ के साथ ही उठाया जा सकता है। किसी भी शिक्षक को शैक्षणिक सत्र के बीच में, उसकी सातत्यता के बीच में दीर्घकालीन छुट्टी पर जाने को अग्रसर होने की अनुमति नहीं होगी।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाये गये अवकाश नियम जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता है, उन्हें विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संदर्भ में पालित किया जायेगा।

3. अवकाश का आरंभ और समापन :

(क) अवकाश सामान्यतः उस दिन से आरंभ होता है जिस दिन से यथार्थ में उसका लाभ उठाया जाता है और जिस दिन शिक्षक अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करता है, ठीक उससे पूर्ववर्ती दिवस को अवकाश समाप्त होता है।

(ख) विश्वविद्यालय में होने वाली लंबी छुट्टी को छोड़कर साप्ताहिक अवकाश और अन्य सार्वजनिक अवकाश को पूर्वलग्न और अनुलग्न के रूप में अवकाश के साथ संलग्न किया जा सकता है।

(ग) सामान्यतः शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अकादमिक सत्र के अंतिम दिन और छुट्टी के बाद शुरु होने वाले नये अकादमिक सत्र के पहले दिन उपस्थिति रहे। तथापि अपवाद रूप में या किन्हीं विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र कुलपति द्वारा अनुमति दी जा सकती है कि आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को दो सत्रों के बीच पड़ने वाली लंबी छुट्टी के आरंभ या अंत के साथ नत्थी किया जा सकता है।

4. अवकाश समाप्ति उपरांत कार्यभार ग्रहण :

(क) अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की इजाजत के अतिरिक्त किसी भी अन्य मामले में जो अवकाश स्वीकृत हुआ है, उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता।

5. अवकाशों का संयोजन :

(क) इन नियमों में अगर अन्यथा उल्लेख न आया हो तो इन नियमों के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसके सातत्य में प्रदान किया जा सकता है।

6. सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र की तिथियों से परे अवकाश की स्वीकृति :

(क) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि से परे जाकर कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। आगे ज्ञातव्य है कि सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक के अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश के तद्नुरूप उसे अवकाश वेतन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना हो :

I. अर्जित अवकाश के अवकाश वेतन की एवज में मिलने वाले नगद भुगतान की सीमा 300 दिन होगी।

II. जहाँ एक शिक्षक उसके सेवा विषयक निबंधनों और शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित सामान्य आयु पाकर सेवानिवृत्त होता है, तो अवकाश देने वाला सक्षम प्राधिकारी स्वतः स्वप्रेरणा से उस शिक्षक के अवकाश खाते में सेवानिवृत्ति के दिन तक जमा अर्जित अवकाश के समकक्ष नगद भुगतान का आदेश जारी करेगा किंतु इसप्रकार का अवकाश वेतन भुगतान अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ही किया जायेगा।

III. यह नगद भुगतान अर्जित अवकाश पर सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन तक लागू अवकाश वेतन और मँहगाई भत्ते के समकक्ष होगा। कोई नगरीय प्रतिपूर्ति भत्ता और/या महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

IV. प्रयोग में न लाये गये अर्जित अवकाश के लिए प्रदत्त नगद भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन तक लागू वेतन और भत्तों की दरों के अनुसार परिगणित किया जायेगा किंतु इसप्रकार का नगद भुगतान अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ही किया जायेगा।

V. सेवानिवृत्ति उपरांत पुनः नियुक्त किये गये शिक्षक को उसकी पुनःबहाली की समाप्ति पर अवकाश देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः स्वप्रेरणा से उसकी पुनःबहाली की समाप्ति की तिथि तक उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के समकक्ष नगद भुगतान का आदेश जारी किया जायेगा। किंतु इसप्रकार का अवकाश वेतन भुगतान अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ही किया जायेगा। इन 300 दिनों में वह अवधि भी शामिल होगी जिसके लिए सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन शिक्षक नगद भुगतान का अधिकारी था।

VI. एक शिक्षक अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के एक हिस्से का इस्तेमाल सेवानिवृत्ति की तैयारी करने के लिए अवकाश के रूप में कर सकता है। इस मामले में भी वह सेवानिवृत्ति के दिन तक अपने अवकाश खाते में शेष रहे अर्जित अवकाश के लाभ विषयक इस नियम का हकदार होगा बशर्ते कि इस नियम के अनुबंधित निबंधनों और शर्तों की पालना की जाये।

VII. जहाँ एक शिक्षक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित सामान्य आयु पाकर सेवानिवृत्त होता है, तो अवकाश देने वाला सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के समतुल्य नगद भुगतान पर उस स्थिति में आंशिक या पूर्ण रोक लगा सकता है जब कि वह शिक्षक निलंबन पर हो अथवा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाही लंबित हो और इसके चलते सक्षम प्राधिकारी का यह मानना हो कि कार्रवाही की समाप्ति पर दंड स्वरूप शिक्षक से कुछ राशि प्रतिलभ्य हो सकती है। कार्रवाही की समाप्ति पर अगर कुछ विश्वविद्यालय को देय निकलता है तो उसके समायोजन उपरांत वह शिक्षक उस राशि को पाने का हकदार होगा जो रोक दी गई थी।

7. एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में रूपांतरण :

(क) शिक्षक के अनुरोध पर अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को अनुदर्शी रूप से अन्य प्रकार के अवकाश में रूपांतरित कर सकता है जो जिस समय अवकाश स्वीकृत किया गया, उस समय शिक्षक को देय हो और उसके लिए लागू हो। किंतु शिक्षक यह दावा नहीं कर सकता कि इसप्रकार का रूपांतरण उसका अधिकार है।

(ख) यदि एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में रूपांतरित किया जाता है तो शर्त यह है कि अंततः जो अवकाश शिक्षक के लिए स्वीकृत होता है, उसके आधार पर वेतन आदि का समायोजन किया जाये। इसका मतलब हुआ कि जो भी अतिरिक्त वेतन शिक्षक को दिया गया है, उसे वसूला जायेगा और जो भी अतिरिक्त उसे देय है, वह उसे दिया जायेगा।

(ग) चिकित्सकीय आधार पर दिये गये असाधारण अवकाश को अनुदर्शी रूप से नियम संख्या 9 के प्रावधानों के तहत अन—अर्जित अवकाश में रूपांतरित किया जा सकता है।

8. चिकित्सकीय आधार पर लिये गये अवकाश उपरांत पुनः कार्यभार ग्रहण करना :

(क) चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के आधार पर जिस शिक्षक को अवकाश प्रदान किया गया है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि पुनः कार्यभार ग्रहण से पूर्व वह तंदुरुस्ती विषयक एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जो निर्धारित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया हो।

(ख) जब चिकित्सकीय आधार पर कोई शिक्षक तीन दिन से कम अवधि के लिए एक बार में अवकाश पर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से उसे चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है। तथापि ऐसा अवकाश फिर चिकित्सा प्रमाणपत्र आधारित अवकाश के रूप में परिगणित नहीं किया जायेगा बल्कि इसे आवेदक शिक्षक के अवकाश खाते में दर्ज़ अन्य प्रकार के अवकाशों में से घटा दिया जायेगा।

9. अवकाश के दौरान वेतन वृद्धि :

(क) यदि वेतन वृद्धि की तिथि आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश से इतर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के दरमियान पड़ती है तो शिक्षक के पुनः अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन वृद्धि प्रभावी होगी और इस संदर्भ में शिक्षक की वेतन वृद्धि की सामान्य तिथि को लेकर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी स्थायी शिक्षक को तीन साल से ज्यादा सतत् समय के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जायेगा।

(ग) जब एक शिक्षक विदेश सेवा में होने या निलंबित होने की स्थितियों को छोड़कर तीन साल की सतत् अवधि वाले अवकाश का लाभ उठाने के उपरांत कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं करता अथवा कोई कर्मचारी अवकाश समाप्ति उपरांत भी अपने कार्य पर अनुपस्थिति रहता है और जिस अवधि के लिए उसे अवकाश दिया गया है, उस अवधि सहित किसी भी अन्य अवधि को मिलाकर उसकी अनुपस्थिति अगर तीन साल की सीमा पार कर जाती है तो उसकी लियन समाप्त मान ली जायेगी और उसकी विश्वविद्यालयी सेवा समाप्त हो जायेगी। शर्त यही है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र कार्य परिषद् ने इस मामले में कुछ अतिरिक्त निर्णय न लिया हो।

10. अवकाश समाप्ति उपरांत भी अनुपस्थित रहना :

(क) अगर सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत अवकाश में इजाफा करने की अनुमति नहीं देता तो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति पर भी अनुपस्थित रहने वाला विश्वविद्यालय कर्मचारी इसप्रकार की अनुपस्थिति वाली अवधि के लिए अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा। और यह अवधि उसके अवकाश खाते से अर्द्ध वेतन अवकाश के रूप में काट ली जायेगी एवं देय अर्द्ध वेतन अवकाश से ज्यादा की अनुपस्थिति असाधारण अवकाश में परिगणित की जायेगी।

(ख) आकस्मिक अवकाश और प्रतिपूरक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाशों के लिए हर शिक्षक के अवकाश खाते का रखरखाव कुलसचिव के कार्यालय में किया जायेगा।

(ग) शिक्षक को स्वीकृत अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश के आदेश यहाँ के उपरांत उसके खाते में जमा अवकाश के रूप में सूच्य होंगे।

11. अवकाश वेतन :

(क) इन नियमों में उल्लेखित अपवादों के अतिरिक्त एक शिक्षक अपने अर्जित अवकाश के दौरान उतने अवकाश वेतन का अधिकारी है जितना वेतन उसने अवकाश पर जाने से तुरंत पहले प्राप्त किया था।

(ख) अर्द्ध वेतन अवकाश या अन–अर्जित अवकाश के दौरान एक शिक्षक उप नियम (1) में उल्लेखित राशि की अर्द्ध राशि अवकाश वेतन के रूप में पाने का हकदार है।

(ग) परिवर्तित अवकाश के दौरान एक शिक्षक उप नियम (1) में उल्लेखित राशि के समकक्ष राशि अवकाश वेतन के रूप में पाने का हकदार है।

(घ) असाधारण अवकाश के दौरान एक शिक्षक कोई अवकाश वेतन पाने का हकदार नहीं है।

(ङ) अगर एक शिक्षक को सेवानिवृत्ति या सेवा त्याग की तिथि (जैसा भी किसी मामले में लागू होता है) से परे जाकर अवकाश दिया जाता है, तो वह इस अवधि के दौरान नियमों के तहत इसप्रकार के अवकाश की संपूर्ण अवधि के लिए एकमुश्त भुगतान का हकदार होगा। किंतु यह भुगतान पेंशन और पेंशन सदृश्य अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों को घटाकर किया जायेगा।

(च) जहाँ इसप्रकार का शिक्षक ऐसे अवकाश के दौरान पुनः नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका अवकाश वेतन अर्द्ध वेतन की स्थिति में लागू अवकाश वेतन के परिमाण तक प्रतिबंधित कर दिया जायेगा एवं इस वेतन में से पेंशन और पेंशन सदृश्य अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों को घटा दिया जायेगा। इस शिक्षक के समक्ष विकल्प होगा कि वह अवकाश का लाभ चाहता है या पूर्ण पेंशन लाभ का आकांक्षी है।

12. अग्रिम अवकाश वेतन :

(क) अग्रिम अवकाश वेतन उसी शिक्षक को दिया जाता है जो कम से कम तीस दिनों के अवकाश पर जा रहा हो। इस अग्रिम अवकाश वेतन में जहाँ भत्तें शामिल होंगे वहीं आयकर, भविष्य निधि, आवासीय किराया और अग्रिम की वसूली विषयक कटौतियाँ भी शामिल होंगी।

(ख) यदि किसी मामले में कोई शिक्षक सेवारत रहते हुए गुजर जाता है तो अवकाश वेतन के समकक्ष नगद का भुगतान जो उस शिक्षक के संदर्भ में देय और लागू होता है, उसे शिक्षक के देहांत तिथि के बाद वाली तिथि को उसके परिवार को कर दिया जायेगा बशर्ते कि अधिकतम भुगतान देय अर्जित अवकाश 300 दिनों की सीमा पार न करे। ज्ञातव्य ही है कि अगर वह शिक्षक अर्जित अवकाश पर गया होता तो अवकाश वेतन प्राप्त करता। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि अर्जित अवकाश के समतुल्य भुगतान से मृत्यु सह सेवानिवृत्ति वाली पेंशन और ग्रेच्युटी विषयक कटौतियाँ नहीं की जायेंगी।

(ग) संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 180 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश को परिवर्तित अवकाश में बदलने का अधिकार रहेगा जहाँ ऐसे अवकाश का इस्तेमाल स्वीकृत अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु किया जाता है। अवकाश की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऐसा पाठ्यक्रम सार्वजनिक हित का है।

13. परिवीक्षा पर नियुक्त अध्यापक :

(क) स्थायी रिक्ति के स्थान पर परिवीक्षा पर नियुक्त एक शिक्षक जो परिवीक्षा के अनुबंधों से बंधा होता है, वह परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन तमाम अवकाशों को प्राप्त करने का हकदार होता है जिन्हें वह उस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी के रूप में पाता।

(ख) अगर किसी भी कारण से परिवीक्षार्थी की सेवाएँ समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो जो भी अवकाश उसे स्वीकृत किया गया है, वह अवकाश उस पूर्ववर्ती तिथि से परे नहीं जाना चाहिए जिस तिथि को परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है या जिस तिथि को कार्य परिषद् के आदेशानुसार उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती हैं।

(ग) जो पद स्थायी रूप से रिक्त नहीं है, उस पर परिवीक्षार्थी के रूप में किसी शिक्षक की नियुक्ति होती है तो जब तक उसके स्थायीत्व की संस्तुति नहीं होती तब तक अवकाश प्रदान करने के विषय में उस शिक्षक को अस्थायी माना जायेगा।

(घ) यदि इस विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से सेवारत कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो वह अपनी परिवीक्षा अवधि में अपने स्थायी पद के लिए लागू अवकाश के नियमों के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

14. अस्थायी शिक्षक :

(क) इस विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त शिक्षक अवकाश और वार्षिक वेतन वृद्धि के उन तमाम लाभों का हकदार होगा जिन्हें स्थायी शिक्षक प्राप्त करते हैं।

अनुलग्नक – I

कुलपति कार्यालय
महात्मा गाँधी केंद्रीय विभवविद्यालय बिहार, मोतिहारी, जिला : पूर्वी चंपारण, बिहार
अध्ययन अवकाश हेतु इकरारनामे का प्रपत्र

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार, मोतिहारी, जिला : पूर्वी चंपारण, बिहार के कर्मचारी द्वारा इकरारनामे का एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है। यह इकरारनामा 10/– रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टांप पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना है। (स्टांप अधिनियम के मुताबिक अगर इकरारनामे का मूल्य 1000/– रुपये है तो स्टांप 10/– रुपये मात्र का लगेगा। किंतु अगर यह ज्यादा है तो 1000/– रुपये से ज्यादा के प्रति 500/– रुपयों पर 5/– रुपये का स्टांप लगेगा।)

यह इकरारनामा सन् 20..... की दिनांक को श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री (यहाँ से आगे जिन्हें कर्मचारी कहा जायेगा) द्वारा महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो संसद के अधिनियम के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है (यहाँ से आगे जिसे विश्वविद्यालय कहा जायेगा) , के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ विश्वविद्यालय के इस कर्मचारी के आवेदन पर इस कर्मचारी को दिनांक से दिनांक तक की अवधि के लिए उद्देश्य से, दिनांक को आयोजित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में पारित प्रस्ताव सं. के तहत अध्ययन अवकाश मंजूर करता है। यहाँ यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत अनुबंधित निबंधनों और शर्तों के तहत कर्मचारी को विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत करता है। इसके तहत एतद्द्वारा कर्मचारी निम्नलिखित वचन देता है/देती है : –

1. कि अपने लिए अध्ययन अवकाश का लाभ लेने वाले इस कर्मचारी द्वारा यह प्रतिज्ञा की जाती है कि वह अध्ययन अवकाश की समाप्ति उपरांत कम से कम सतत् तीन साल विश्वविद्यालय की सेवा करेगा। इस तीन साल की अवधि का परिगणन उसके द्वारा अध्ययन अवकाश उपरांत अपना कार्यभार पुनःग्रहण किये जाने की तिथि से किया जायेगा।

2. कि इस इकरारनामे के तहत कर्मचारी द्वारा स्वयं को देय शर्तों को पूरा करने की प्रतिज्ञा के साथ आबद्ध किया जाता है। इस बाबत वित्त अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए अध्ययन अवकाश की शर्तों की पालना न किये जाने की सूरत में जितनी राशि का पुनर्भुगतान शिक्षक की ओर से विश्वविद्यालय को किया जाना है, उस राशि की एवज में शिक्षक द्वारा स्थायी संपत्ति की जमानत दी जाती है या बीमा कंपनी से निष्ठा का इकरारनामा किया जाता है या अनुसूचित बैंक से गारंटी दिलवाई जाती है या दो स्थायी अध्यापकों से जमानत दिलाई जाती है।

3. कि अगर यह कर्मचारी जिसे पूर्ण, अर्द्ध या शून्य वेतन के साथ अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, वह अध्ययन अवकाश अवधि में या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में अपना अध्ययन पूर्ण करने में असफल रहता है या अपनी अध्ययन अवकाश अवधि के समाप्त हो जाने पर भी वह विश्वविद्यालय में अपने कार्यभार पर वापिस लौटने में असफल रहता है या कार्यभार पुनः ग्रहण करने के उपरांत निर्धारित अवधि तक सेवारत रहने में असफल होता है (जिसके लिए वह धारा 1 के तहत प्रतिज्ञाबद्ध है) या वह उपरोक्त अवधि के बीच विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से बरखास्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो यह कर्मचारी स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपने निर्वाहकों को, अपने प्रतिनिधियों को इसके लिए आबद्ध करता है या सौंपता है कि विश्वविद्यालय को ब्याज सहित उतनी राशि का पुनः भुगतान किया जाये जितनी राशि उसके अध्ययन पाठ्यक्रम या शोध के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवकाश वेतन और भत्तों एवं अन्य खर्चों के रूप में उस पर व्यय की गई है या उसे प्रदान की गई है। अथवा यह कि इस संदर्भ में उस पर व्यय की गई कुल राशि के उतने अनुपात का पुनः भुगतान करने को वह वचनबद्ध है जितना विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् अपने विवेक से निर्धारित करती है।

4. कि विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के अध्ययन अवकाश वृद्धि के आवेदन को ठुकराये जाने की स्थिति में अगर कर्मचारी द्वारा मूलतः उसको प्रदत्त अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि इस इकरारनामे के तहत विश्वविद्यालय को देय राशि की वसूली के संदर्भ में कर्मचारी विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार अध्ययन अवकाश की समाप्ति उपरांत पुनः ग्रहण करने में असफल रहा है।

गवाहों की मौजूदगी में कर्मचारी पूर्वोक्त तिथि को इस इकरारनामे पर अपना हस्ताक्षर करता है।

————————————

कर्मचारी

नाम : ————————————

पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : ——————————
निवासी ——————————

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के अधिकारी की उपस्थिति में :
——————————

कुलपति, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार
(सील)

गवाह :

1. नाम : ——————————
पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : ——————————
निवासी ——————————

2. नाम : ——————————
पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : ——————————
निवासी ——————————

अनुलग्नक – II

जमानती इकरारनामा प्रपत्र

उपस्थित समस्त व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि मैं पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : का/की स्थायी निवासी हूँ और वर्तमान में का/की निवासी हूँ। मैं के वेतनमान पर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं (यहाँ के बाद 'मैं' को जमानती कहा जायेगा) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधित) अधिनियम 2014 के तहत स्थापित महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को एक निर्धारित राशि अदा करने के प्रति वचनबद्ध होता हूँ जो इसके प्रतिनिधि कुलसचिव द्वारा परिगणित की गई है। इस राशि की गणना महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले व्ययों, वैधानिक खर्चों सहित यथा उल्लेखित ब्याज को ध्यान में रखते हुए की गई है। मैं यहाँ एतद् द्वारा स्वेच्छा से और ईमानदारी से स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपने निर्वाहकों को, अपने प्रतिनिधियों को इस इकरारनामे की शर्तों से आबद्ध करता हूँ।

यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्माा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : जो का/की स्थायी निवासी है और जो के रूप में कार्यरत हैं (यहाँ के बाद इनको विश्वविद्यालय का शिक्षक कहा जायेगा), को उनके अपने अनुरोध पर अध्ययन अवकाश देने पर अपनी सहमति देता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की अध्यादेश संख्या..... के तहत विश्वविद्यालय इस अध्ययन अवकाश पर अपनी मंजूरी देता है। इसके संदर्भ में दिनांक कोद्वारा जारी कार्यालयी आदेश संख्या..... देखिए।

यहाँ घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक ने दिनांकको एक इकरारनामे के साथ यह वचन दिया है कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्या.....में समाविष्ट शर्तों की अनुपालना की जायेगी।

यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्मा् गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा शिक्षक को अध्ययन अवकाश की मंजूरी पर अपनी सहमति देने के मद्देनज़र जमानती एतद्द्वारा इस इकरारनामे की शर्तों पर अपनी सम्मति देता है जो नीचे दी गई हैं :

आगे ज्ञातव्य है कि जमानती इस इकरारनामे की शर्तों से मुक्त हो जायेगा अगर महात्माा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के कुलसचिव द्वारा परिगणित समस्त राशि का भुगतान कर देता है, जिस राशि में समस्त प्रकार के व्ययों, लिखावट के खर्च समेत अन्य वैधानिक खर्चों आदि का समावेश है। यह परिगणन कुलसचिव द्वारा नियुक्त उसका कोई प्रतिनिधि अधिकारी भी कर सकता है। इस भुगतान योग्य देय राशि का सवाल तब पैदा होगा जबकि विश्वविद्यालय के उपर्युक्त शिक्षक/कर्मचारी से उसके द्वारा दिनांक को प्रस्तुत इकरारनामे के निबंधनों और शर्तों की पालना में कोई चूक हो जाती है या उसके द्वारा अध्यादेश संख्या की पालना नहीं की जाती।

किंतु ऐसा घटित न होने पर भी अगर महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी गुजर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की सेवा से मुक्त कर दिया जाता है अथवा किसी भी कारण से जो आंशिक या पूर्ण देय उस पर डाला जाता है, उसके अदेय रह जाने पर ठीक वही देय जमानती की तरफ से महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को तत्क्षण एक किस्त में इस इकरारनामे के मुताबिक देय होगा। इस इकरारनामे में जमानती ने इस बाबत जो जिम्मेदारी ली है, वह इससे मुक्त नहीं होगा। यहाँ इससे कोई

अंतर नहीं आयेगा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी के अध्ययन अवकाश को विस्तारित किया जाता है और इसकी सूचना जमानती को होती है या नहीं।

सन् 20..... की दिनांक को जमानती द्वारा हस्ताक्षरित।

(.....)
जमानती के हस्ताक्षर
पद और मुहर

इन व्यक्तियों की उपस्थिति में
1.....
2.....
(गवाहों के नाम और पद)

अनुलग्नक – III

जमानती इकरारनामा प्रपत्र

उपस्थित समस्त व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि मैं पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : स्थायी निवासी मकान सं., गली का नाम और संख्या.का/की स्थायी निवासी हूँ। मैंके रूप में रोजगाररत/स्वरोजगाररत हूँ। आयकर प्राधिकारण में मेरी पैन संख्या है।

मैं (यहाँ के बाद 'मैं' को जमानती कहा जायेगा) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधित) अधिनियम 2014 के तहत स्थापित महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को एक निर्धारित राशि अदा करने के प्रति वचनबद्ध होता हूँ जो इसके प्रतिनिधि कुलसचिव द्वारा परिगणित की गई है। इस राशि की गणना महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले व्ययों, वैधानिक खर्चों सहित यथा उल्लेखित ब्याज को ध्यान में रखते हुए की गई है। मैं यहाँ एतद्द्वारा स्वेच्छा से और ईमानदारी से स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपने निर्वाहकों को, अपने प्रतिनिधियों को सन् 200..... की दिनांक को इस इकरारनामे की शर्तों से आबद्ध करता/करती हूँ।

यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्मा् गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : का/की स्थायी निवासी जो के रूप में कार्यरत हैं (यहाँ के बाद इनको विश्वविद्यालय का शिक्षक कहा जायेगा), को उनके अपने अनुरोध पर अध्ययन अवकाश देने पर अपनी सहमति देता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की अध्यादेश संख्या 13 के तहत विश्वविद्यालय अध्ययन अवकाश पर अपनी मंजूरी देता है। इसके संदर्भ में दिनांक को द्वारा जारी कार्यालयी आदेश संख्या देखिए।

और यहाँ घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के उपरोक्त शिक्षक ने दिनांकको एक इकरारनामे के साथ यह वचन दिया है कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्या 13 में समाविष्ट शर्तों की अनुपालना की जायेगी।

और यहाँ घोषित किया जाता है कि मैं निम्नलिखित अचल संपत्ति/संपत्तियों का वास्तविक और वैध वारिस हूँ जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित लागत
1.				
2.				
3.				

म
हात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के वित्त अधिकारी के अवलोकन और संतुष्टी हेतु उपरोक्त संपत्तियों के संबद्ध दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियाँ यहाँ नत्थी की जाती हैं।

और यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा शिक्षक को अध्ययन अवकाश की मंजूरी पर अपनी सहमति देने के मद्देनज़र जमानती एतद्द्वारा इस इकरारनामे की शर्तों पर अपनी सम्मति देता है जो नीचे दी गई हैं :

I. जमानती इस इकरारनामे की शर्तों से मुक्त हो जायेगा अगर महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के कुलसचिव द्वारा परिगणित समस्त राशि का भुगतान कर देता है जिस राशि में समस्त प्रकार के व्ययों, लिखावट के खर्च समेत अन्य वैधानिक खर्चों आदि का समावेश है। यह परिगणन कुलसचिव द्वारा नियुक्त उसका कोई प्रतिनिधि अधिकारी भी कर सकता है। इस भुगतान योग्य देय राशि का सवाल तब पैदा होगा जबकि विश्वविद्यालय के उपर्युक्त शिक्षक/कर्मचारी से उसके द्वारा दिनांक को प्रस्तुत इकरारनामे के

निबंधनों और शर्तों की पालना में कोई चूक हो जाती है या उसके द्वारा अध्यादेश संख्या की पालना नहीं की जाती।

II. किंतु ऐसा घटित न होने पर भी अगर महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी गुजर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की सेवा से मुक्त कर दिया जाता है अथवा किसी भी कारण से जो आंशिक या पूर्ण देय उस पर डाला जाता है, उसके अदेय रह जाने पर ठीक वही देय जमानती की तरफ से महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को तत्क्षण एक ही किस्त में इस इकरारनामे के मुताबिक देय होगा।

III. इस इकरारनामें में जमानती ने इस बाबत जो जिम्मेदारी ली है, वह इससे मुक्त नहीं होगा। यहाँ इससे कोई अंतर नहीं आयेगा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी के अध्ययन अवकाश को विस्तारित किया जाता है और इसकी सूचना जमानती को होती है या नहीं।

सन् 20.....की दिनांक को जमानती द्वारा हस्ताक्षरित।

(.....)
जमानती के हस्ताक्षर
पद और मुहर

इन व्यक्तियों की उपस्थिति में
1.....
2.....

(गवाहों के नाम और पद)

(जमानती शपथ पत्र)

शपथ पत्र

मैं पुत्र श्रीनिवासी, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता/करती हूँ :

कि मैं निम्नलिखित अचल संपत्ति/संपत्तियों का वास्तविक और वैध वारिस हूँ।

क.सं.	संपत्ति का विवरण	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित लागत
1.				
2.				
3.				
4.				

मैं शपथ लेता हूँ कि उपर्युक्त संपत्ति अभी तक किसी को भी न बेची गयी है, न हस्तांतरित की गयी है और न सौंपी गयी है और बाज़ार में इसकी अच्छी साख है।

मैं की तिथि वाले इस शपथ पत्र के द्वारा स्वयं को महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के साथ जमानती के रूप में आबद्ध करता हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक उपर्युक्त विश्वविद्यालय के प्रति मैं जमानत से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस संपत्ति या उसके किसी अंश को किसी भी रूप में न हस्तांतरित करूँगा, न किसी को सौंपूंगा।

(अभिसाक्षी)

सत्यापन :

दिनांक को मोतिहारी में यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र की सामग्री यथार्थ और सच्ची है, इसका कोई भी हिस्सा असत्य नहीं है और यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

(अभिसाक्षी)

IndiaCode

अध्यादेश संख्या 15

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य अकादमिक स्टाफ पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया/मानक

1. सर्वाधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को आकर्षित करने हेतु विश्वविद्यालय की रोलिंग विज्ञापन की नीति होगी जिसके तहत योग्य अभ्यर्थी विभिन्न संकाय पदों हेतु पूरे वर्ष आवेदन कर सकेंगे और स्क्रीनिंग समिति की बैठक से 30 दिन पूर्व तक प्राप्त आवेदनों पर साक्षात्कार हेतु विचार किया जाएगा।

2. सभी को समान अवसर प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय सभी पदों को प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों समेत रोजगार समाचार पत्र में अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापित करेगा और सभी योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु कम–से–कम 30 दिनों का समय दिया जाएगा।

3. विभिन्न पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निवेदन करने पर नाममात्र मूल्य पर उपलब्ध रहेगा जैसा कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् समय–समय पर निर्धारित करेगी तथापि निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से बगैर किसी शुल्क के डाउनलोड किया जा सकेगा।

4. आवेदक को विज्ञापन अधिसूचना में निर्धारित तरीके से नाममात्र का आवेदन प्रक्रिया शुल्क अदा करना होगा जो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग श्रेणी से आने वाले आवेदकों को आवेदन शुल्क अदा करने से छूट होगी।

5. ऐसे आवेदक जो पहले से किसी सेवा या रोजगार में हों, उनके लिए उपयुक्त माध्यम से आवेदन करना आवश्यक होगा। हालाँकि वे अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकते हैं तथापि विधिवत् रूप से अग्रप्रेषित आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियोक्ता के सत्यापन के साथ साक्षात्कार तिथि से दस दिन पूर्व तक विश्वविद्यालय को प्राप्त होना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं होने पर आवेदक को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जाएगा।

6. अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, शोध और प्रकाशन की पुष्टि में आवेदकों को सभी सम्बद्ध प्रमाणपत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक होगा जिनकी मूल प्रतियां सत्यापन हेतु साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होंगी।

7. न्यूनतम अर्हता से संबद्ध शर्तें व प्रतिबंध तथा अन्य शर्तें व प्रतिबंध वही होंगे जो यूजीसी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कुलपति संबद्ध अधिष्ठाता व विभागाध्यक्ष से परामर्श कर एवं काय परिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर विशेष निर्देश दे सकते हैं या अन्य शर्तों का निर्धारण कर सकते हैं, जो भरे जाने वाले पदों के लिए आवश्यक हो।

8. न्यूनतम निर्धारित अर्हता व अनुभव धारण कर लेने मात्र से कोई अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के योग्य नहीं हो जाएगा एवं विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह इस उद्देश्य हेतु अधिनियम के अनुसार गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर या न्यूनतम निर्धारित अर्हता व अनुभव से उच्च अर्हता व अनुभव के आधार पर या अन्य किसी शर्त जो उचित हो, के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित कर सकता है।

9. साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा टी.ए./डी.ए/या स्थानीय परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा तथापि साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के शहर से बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा के प्रमाण के रूप में टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा व्यय के बदले द्वितीय श्रेणी के रेलवे भाड़े के समतुल्य भुगतान किया जाएगा।

10. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उनके पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में अनुयाचन की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

11. अधिनियम 18 (2) के अनुसार विधिवत् रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य अकादमिक स्टाफ पदों पर नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर की जायेगी।

12. चयन समिति यूजीसी द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी और आरक्षित श्रेणियों के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 7 में प्रदान की गयी और यथा तिथि तक संशोधित नियमों व प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

13. चयन समिति की बैठक विजिटर नॉमिनी व कार्य परिषद द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों से पूर्व परामर्श के पश्चात और उनकी सुविधानुसार तय की जायेगी और राष्ट्रपति के संयोजक द्वारा बैठक का समय और स्थान बताते हुए बैठक की तिथि से कम–से–कम दस दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को एक नोटिस भेजी जायेगी।

14. राष्ट्रपति के संयोजक के पास ऐसे किसी भी मामले के संबंध में प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिनका उल्लेख नियम/अधिनियम/अध्यादेश में नहीं है। राष्ट्रपति के संयोजक को चयन समिति की बैठक में मतदान का अधिकार होगा और बराबरी की स्थिति में उनका मत निर्णायक होगा।

15. प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार करने के पश्चात यदि चयन समिति का यह विचार हो कि वह अगले कनिष्ठ पद के लिए उपयुक्त है, तो वह ऐसी अनुशंसा कर सकती है।

16. चयन समिति को भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबद्ध शर्त या शर्तों के साथ किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा का अधिकार नहीं होगा।

17. चयन समिति की अनुशंसाओं को कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया जाएगा और अधिनियम 12 (2) (ii) के अनुसार नियुक्ति का आदेश कार्य परिषद् के अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा।

18. यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही तिथि को एक ही चयन समिति द्वारा चुना जाता है तो चयन समिति को सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता योग्यता–क्रम में निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

19. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीएच श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित आयु में छूट, न्यूनतम योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित वैधानिक प्रावधान का पालन किया जाएगा।

20. यदि चयन समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु योग्यता, आयु, अनुभव आदि से संबंधित किसी भी निर्धारित शर्त में छूट की अनुशंसा की जाती है तो उसे उचित ठहराने के कारणों को चयन समिति की कार्यवाही में विधिवत दर्ज करना होगा।

21. किसी चयनित अभ्यर्थी के लिए अग्रिम/अतिरिक्त वेतन वृद्धि की अनुशंसा करते समय चयन समिति अतिरिक्त/अग्रिम वेतन वृद्धि से संबंधित यूजीसी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करेगी। इसके अतिरिक्त यदि चयन समिति किसी चयनित अभ्यर्थी को उच्च प्रारंभिक वेतन या अग्रिम वेतन वृद्धि देने की अनुशंसा करना उचित समझती है तो उसे न्यायसंगत ठहराने के कारणों को चयन समिति की कार्यवाही में विधिवत दर्ज कराना होगा।

22. चयन समिति की अनुशंसाएँ, कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित होने कि स्थिति में, अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी।

23. इन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के बावजूद कार्य परिषद् को ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव देने का अधिकार होगा, जिन्होंने नियम 19 (1) के तहत आवेदन न किया हो।

24. किसी भी विवाद कि स्थिति में विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी अर्जी या कानूनी कार्रवाई के लिए न्याय–क्षेत्राधिकार मोतिहारी के न्यायालय, जिला – पूर्वी चंपारण, जो विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, तक सीमित होगा।

[फा. सं. विज्ञापन-3/4/असा./48/17]

प्रो. आशुतोष प्रधान, विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)

IndiaCode

MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVRSITY

(A Central University established by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Motihari, 29th April, 2017

No. 11-1/MGCUB/GA/2016/1187.—It is notified that in exercise of the powers vested in the Executive Council of the University under Section 28 of the Central Universities Act 2009 and Statute 37 of the University, the Executive Council of the University has made Ordinance No. 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 of the University.

In terms of the provisions of Statute 37 of the University, the aforesaid Ordinances reproduced as under, have come into effect immediately after the approval of the Competent Authority.

ORDINANCE NO: 9

EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE, FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE REGISTRAR

1. The Registrar shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

 However, the first Registrar shall be appointed by the Visitor and shall hold office for a term of three years.

 Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years.

2. In case the Registrar is appointed on deputation from the Government or any other Organization / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India. Provided that the Registrar appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

3. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

4. Registrar shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees, as applicable to the category of the house.

5. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University**.**

6. The Registrar shall have power to take disciplinary Action against such of the employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment. Provided that:

 a) No such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the Action proposed to be taken in regard to him.

 b) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar Imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).

 c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations: Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

7. The Registrar shall be ex officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be a member of either of these authorities and he shall be ex officio Member-Secretary of the Court.

8. It shall be the duty of the Registrar:

 a) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

 b) To issue all notices convening meetings of the court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.

 c) To keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.

 d) To conduct the official correspondence of the court, the Executive Council and the Academic Council;

 e) To supply to the visitor, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

 f) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

 g) To perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Executives Council or the Vice-Chancellor.

ORDINANCE NO: 10

EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE FINANCE OFFICER

1.The Finance Officer shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

However, the First Finance Officer shall be appointed by the Visitor and shall hold office for a term of three years.

2. Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.

3. When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

4. In case the Finance Officer is appointed on deputation from the Government or any other Organization/Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of Government of India. Provided that the Finance Officer appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

5. The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.

6. Finance Officer shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house.

7. The terms and conditions of service, leave, allowances, provident fund and other terminal benefits of the Finance Officer shall be such as prescribed by the University from time to time for its non-vacation staff.

8. The Finance Officer shall be ex officio Secretary of the Finance committee, but shall not be its member.

9. The Finance Officer shall:

 a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy;

 b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

10. Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall:

 a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;

 b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and nonrecurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.

 c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;

 d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;

 e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

 f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, Centres and Specialized Laboratories;

 g) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

 h) call for from any office, Department, Centre, Laboratory, College or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

11. Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorized in this behalf by the Executive council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

ORDINANCE NO: 11

EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

1. The Controller of Examinations shall be whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council (after due observance of

Selection process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

2. Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years.

3. When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

4. In case the Controller of Examinations is appointed on deputation from the Government or any other Organisation / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the University. Provided that the Controller of Examinations appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

5. Where an employee of this University or any other Institution / Government and its organizations is appointed as Controller of Examinations, he / she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund / Contributory Provident Fund / Pension / Gratuity / Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as the Controller of Examinations, and till he / she continues to hold his / her lien on that post.

6. Controller of Examinations shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he / she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house.

7. The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.

8. Controller of Examinations shall arrange for and superintended the examinations of the University in the manner prescribed by the relevant Ordinances.

9. Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Controller of Examinations shall perform such duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Executive Council or Vice-Chancellor.

IndiaCode

ORDINANCE NO: 12

EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE LIBRARIAN

1. The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed by the Executive Council on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

2. Librarian shall be entitled to receive salary and allowances as prescribed by the Central Government and as adopted by the Executive Council from time to time.

3. The terms and conditions of service of the Librarian shall be such, as prescribed for other non-vacation employees of the University.

4. In case the Librarian is appointed on deputation from the Government or any other Organisation / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the University. Provided that the Librarian appointed on deputation may be repatriate earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

5. The Librarian shall be entitled to a unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house.

6. The terms and conditions of service of the Librarian shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.

7. Librarian shall manage and superintend the Libraries of the University in the manner prescribed by the relevant Ordinances.

8. Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinances, the Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him / her from time to time by the Executive Council or by the Vice-Chancellor.

ORDINANCE NO: 13

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF

1. Teachers of the University mean Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting researches in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.

2. A teacher of the University shall be a whole-time salaried employee of the University and shall devote his / her whole-time to the University and does not include honorary, visiting, part-time and ad-hoc teachers.

 a) No teacher of the University shall without the permission of the Executive Council engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached.

 b) Provided that teachers may be permitted to undertake such assignment as examination work of Universities or learned bodies or Public Service Commissions or any literary work or publication or radio / television talk or extension lectures or, any other academic work with the permission of the Vice-Chancellor.

 c) Provided further that teachers shall be encouraged to actively engage in research, publication, consultancy and management / executive development programmes as per UGC guidelines and with prior approval of the University.

Nature of Duties:

3. The work load of teachers in term of contact hours, presence on the campus and other activities relating to teaching, research, examination, evaluation, curricular development self-study and reparation for lectures shall be as per the norms prescribed by the University Grants Commission.

4. Organization of teaching, teaching of courses of studies assigned and other work related to the effective teaching such as development, revision of curricula & syllabi, laboratory & field work, tutorials, work related to examination and evaluation of students, maintenance of discipline in the classroom, general welfare of students etc. shall be the primary duties of the teachers.

5. In addition to the teaching of assigned courses of studies, teachers shall be expected to actively engage in research, publications, patent development, promotion of academic culture etc. in true spirit of the best intellectual traditions.

6. Teachers shall be bound by the decision of the department, the Board of Studies, School Board, the Academic Council and the Executive Council of the University and shall act and work under the general direction and supervision of the Head of the Department and Dean of the School concerned.

7. Every teacher shall undertake to take part in such activities of the University and perform such duties in the University as may be required of him/her in accordance with the letter and spirit of the Act, the Statutes and Ordinances as made from time to time and as in force.

8. Every teacher is appointed as a teacher in the University and his/her present placement in a particular School / Department / Centre is in accordance with the current needs and requirements of the University. The University reserves the right to establish, abolish, merge, reorganize and rename its Schools / Departments / Centres as warranted by the changing needs, requirements and circumstances and that the placement/place of posting of teacher may be changed accordingly at any time in the best interest of the University.

Probation:

9. Teachers shall be appointed on probation ordinarily for a period of twelve months, but in no case the total period of probation shall exceed 24 months. Provided that the condition of probation shall not apply in the case of teachers appointed by the Executive Council under the provisions of Statute 19.

Confirmation:

10. It shall be the duty of the Registrar to place before the Executive Council thecae of Confirmation of a teacher on probation, not later than forty days before the end of the period of probation.

11. The Executive Council shall have the power to confirm the teacher or decide not to confirm him, or extend the period of probation by a maximum of twenty-four months in all. Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Executive Council present and voting.

12. In case the Executive Council decides not to confirm a teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his / her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, the teacher shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.

Increment:

13. Every teacher shall be entitled to increment in his/her scale of pay, as per rules, unless the same has been withheld or deferred or postponed by a resolution of the Executive Council. Provided that a teacher whose increment is proposed to be withheld / deferred / postponed shall be given due opportunity to make his/her written representation.

Promotion through career advancement:

14. The promotion through career advancement of Assistant Professors / Associate Professors / Professor in the university shall be governed by the Norms / Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

IndiaCode

Age of retirement:

15. Subject to the provision of Statute 25, every teacher confirmed in the service of the University, shall continue in such service until he / she attains the age of superannuation as prescribed by the UGC / Govt. of India from time to time.

 a) Provided that if the date of Superannuation of a teacher falls at any time during the Academic Session, the Executive Council, may on the recommendation of the Vice-Chancellor re-employ the teacher for any period up to the end of the academic session, with a view not to disturb the teaching work of the Department / Centre.

 b) Provided further that in special cases, a teacher on his/her attaining the age of superannuation, may be re-employed on a contract in keeping with the regulations in this behalf as issued by the UGC from time to time.

Professional Code of Conduct:

16. Every teacher shall be bound by the Act, the Statutes, the Ordinances, the Rules & Regulations and Code of Conduct as formulated by the University from time to time.

 a) Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall be made after his/her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

17. Every teacher of the University shall abide by the Code of Conduct framed by the University from time to time. As a matter of general rules, the following lapses would amount to and constitute misconduct on the part of a University teacher:

 a) Refusal, words or actions, to teach courses of studies, supervise research and/or other administrative and co-curricular activities assigned to him/her by the Department, the Board of Studies, the Dean of the School, the School Board and the Vice-Chancellor.

b) Lapses or negligence or carelessness in performing or carrying out the responsibilities as defined or as assigned to him/her from time to time by the university.

c) Refusal to carry out the decisions of the university authorities, academic bodies and/or functionaries of the University.

d) Non-adherence to the highest standards of personal and professional ethics and/or indulging in plagiarism of any kind and sort, within the legal meaning, interpretation and expression of the term.

e) direct and tacit involvement in activities leading to:

i) disturbance of peace and harmonious community life on the campus including involvement and abetment in inciting students, staff and outsiders against other students, colleagues, administration and campus.

ii) spread of communal feeling, hatred, campus violence including making derogatory remarks on caste, creed, colour, religion, race or gender.

iii) in any activities, actions and deed adversely affecting or impinging upon the interest of the university.

f) Nothing contained in these ordinances shall, however, interfere with the right of a teacher to express his/her views and difference of opinion on matters of principles in public forum, seminars, conferences, workshops and/or in his speech and writing.

Resignation:

18. A teacher may, at any time, terminate his/her contract by giving the University three months' notice in writing or on payment to the University of three months' salary in lieu thereof.

19. The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.

20. Provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.

Written Contract:

21. As mandated under Section 33(1) of the Central Universities Act 2009, every teacher of the University shall be required to enter into a Written Contract with the University in the form as prescribed in Annexure - I of this Ordinance and as amended from time to time.

Teaching Days, Work Load and Leave Rules:

22. The rules and conditions governing number of teaching days, work load and leave rules shall be as prescribed by the UGC from time to time.

Fixation of Pay of Re-employed pensioners:

23. As per the Government of India Rules issued from time to time.

Seniority of Teaching Staff:

24. It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each category of employees to whom the provisions of this Ordinance apply, a complete and up to date seniority list in accordance with the provisions of this Ordinance.

25. Seniority of teachers shall be determined in accordance with the UGC norms. However, while determining the seniority of teachers the following principles shall be observed:

a) Seniority in each grade shall be determined in accordance with the length of continuous service from the date of appointment of the person in his/her grade.

b) If a teacher of the University is selected by a duly Selection Committee for an appointment to a post in the same grade in another Department / Centre / School of the University, his/her seniority in the

University will be reckoned from the date of his/her original appointment to the post in the same grade in the University.

c) In case two or more teachers are recommended for appointment by the same selection committee held on the same date, the Selection Committee shall have powers to specify their seniority with due regards to the merit of the selected candidates and that the same shall be used for the purpose of determining seniority in service.

d) Seniority of the teachers appointed / promoted under the Career Advancement Scheme shall be determined in accordance with the UGC guidelines / regulations / norms in this regard. If a teacher is promoted to the next higher grade / post under the Career Advancement Scheme, his/her seniority in the higher grade / post shall be reckoned from the date of eligibility for promotion to the next grade / post. However, if a candidate is denied promotion, his/her seniority shall be reckoned from the date of the next eligibility.

e) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or post or the relative seniority of any person(s) is otherwise in doubt or in question, the Registrar may, on his own motion or at the request of any person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

f) Seniority among the Deans of Schools, Heads of the Departments, Directors of the Centres of studies and Principals of the Colleges maintained by the University shall be determined with effect from the date of their appointment to such position.

Temporary Appointment of Teachers:

26. Temporary appointment of teachers shall be restricted to appointment against vacancies caused due to leave by teachers and shall be governed by the following rules:

a) Vacancies caused due to leave of Professors / Associate Professors /Assistant Professors will be filled in the cadre of Assistant Professor.

b) Temporary vacancies shall be filled on the advice of the Selection Committees in accordance with the procedure prescribed as per Clause 18 (6).

c) A temporary appointment so made shall be continued for the period of leave granted to a permanent incumbent. However, the temporary appointee cannot without any further express recommendations of a Selection Committee be continued after the exhaustion of his/her temporary tenure or be adjusted against any other Vacancy / vacancies.

d) A temporary teacher, who has been detained for official work during the Vacation shall be entitled to an ex-gratia payment equivalent to the emoluments he/she would have received had his/her appointment continued till the end of the vacation, provided that the teacher has worked in the University for a minimum period of 180 days during that academic year and has held that appointment on the last day of that academic year. Provided further that such teacher must not hold any appointment elsewhere for remuneration during the period of that vacation.

e) The temporary appointment so held shall not confer any rights on the teacher(s), so appointed to seniority, regularization absorption or preference in future appointment in the University.

Re-employment of Teachers:

27. The Executive Council may, in the interest of the University, re-employ a distinguished superannuated University teacher, who has contributed substantially to the field of knowledge and learning in accordance with the following procedure:

a) A University teacher retiring on superannuation shall intimate his/her willingness for re-employment to the Vice-Chancellor at least six months before the date of his/her superannuation through proper channel.

b) The Head of the Department/Institution and the Dean concerned shall forward the same to the Vice-Chancellor with their express recommendations.

IndiaCode

c) In the case of the Head of the Department seeking re-employment, the Dean of the School shall forward his/her application with remarks to the Vice-Chancellor.

d) If the Dean of the School is himself/herself seeking re-employment, he/she shall submit his/her application to the Vice-Chancellor directly.

e) The application for re-employment shall be supported by the following documents:

i) Complete bio-data of the retiring teacher with special emphasis on the academic and other achievements made during the last five years. The bio-data shall include details regarding teaching and research experience, publications, attendance / presentations at conferences, workshops, seminars, symposia etc.

ii) Medical certificate of fitness from the recognized Health Centres / Hospitals. (The University reserves the right to get it verified by the University Medical Officer).

f) On receipt of the application / proposal and complete bio-data from the University teacher willing to work on re-employment, the Vice-Chancellor shall, in consultation with the Head of the Department or with any other expert in the field / subject of the applicant teacher, form his/her opinion and views about the re-employment of such a teacher and place the same in the form of a proposal before the Executive Council for consideration.

g) No teacher can claim re-employment as a matter of right.

h) The re-employment of a University teacher would be subject to the over-all age limit as prescribed by the UGC for Central Universities beyond which there would be no provision for extension.

i) The re-employment shall be treated as a fresh temporary appointment.

j) The Executive Council at its discretion may terminate the services of a re-employed University teacher by giving him/her one month's notice in writing.

k) A re-employed University teacher shall not be eligible for appointment as Head of the Department or Dean of a School nor can be a member of an authority of the University nor shall be given any other administrative responsibility.

l) The salary and other benefits admissible to a University teacher shall be in accordance with the Rules prescribed by the University from time to time.

IndiaCode

ANNEXURE - I

FORM OF WRITTEN CONTRACT TO BE SIGNED BY TEACHER AND MEMBER OF THE ACADEMIC STAFF

(Under Clause 22(3) of the Central Universities Act 2009)

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENT

Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this ordinance.

TO BE TYPED ON `10/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER & SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF.

SERVICE CONTRACT

ARTICLES OF AGREEMENT EXECUTED on the _____ day of _____the year Two Thousand _____Year of the Republic of India between _____ S/O/D/O/W/O _____ aged _____ years, residing at_____ of the first part (hereinafter called 'the party of the first part') and the Mahatma Gandhi Central University of the second part.

WHEREAS the ***Clause 22(1)*** (hereinafter referred in as "the University") have engaged the party of the first part as _____ (Designation) in the School ofand the party of the first part has agreed to serve the University on the terms and conditions hereinafter contained; Now these present witness and the parties here to respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty _____ (Date) subject to the terms and conditions herein contained.

2. The party of the first part shall devote his/her whole time and attention efficiently and diligently to his/her duties and at all-time obey the rules including the University Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him/her from time to time.

3. The party of the first part shall be of the Teacher's/Officer's rank and his / her status shall be that of _____ (designation) in the School of _____ (School) and presently placed in the..... (Department/Centre/Office).

4. The party of the first part understands and agrees that his/her present placement in a particular School/ Department/Centre is in accordance with the current needs and requirements of the University and that the University reserves the right to establish, abolish, merge, reorganize and rename its schools, departments and centres as changing needs, requirements and circumstances may warrant and that the party of the first part shall willingly accept and have no objection to any change in his/her placement to any School/ Department/Centre of the University.

5. The party of the first part shall, from the date of coming into force of these, be granted Rs._____ (Basic Pay including the grade pay of Rs._____) in the pay scale of Rs. _____. **He/She** shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University/Govt. of India in force.

6. The party of the first shall, during the period of his/her agreement earns leave according to the rules applicable to him/her.

7. If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled to travelling allowance on the scale applicable to the Officers of his/her/her equal rank in the University.

8. His/her agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation / by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.

9. The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund/Pension/New Pension Scheme according to the rules applicable.

10. No application of the party of the first part for employment in other institution shall be forwarded during his/her probation period.

11. In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher/Officer in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under this agreement and the decision of the University as their applicability shall be final

IN WITNESS WHEREOF _____ the party of the first part and the (Name) Registrar acting for and on behalf of and by the order and direction of the Executive Council, have hereunto set their hands in the _____ year of the REPUBLIC OF INDIA.

SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:

IN THE PRESENCE OF:

Witness: 1)

Witness: 2)

ORDINANCE NO: 14
LEAVE RULES FOR THE TEACHING STAFF

1.**General Rules Relating to Leave:**

a) No teacher can claim leave as a matter of right and when the exigencies or service so demand, leave of any description may be refused or revoked by the leave sanctioning authority.

b) In case a teacher is recalled to duty before the expiry of his leave, such recall to duty shall be treated as binding and compulsory in all cases.

c) Except as otherwise provided in these rules, leave shall be earned by period spent on duty only.

d) No teacher shall avail leave of any kind, except in case of emergency or for reasons beyond his/her control, unless the leave has been sanctioned by the competent authority. Provided further that application for leave must reach the competent authority in advance giving sufficient time to grant or deny the leave.

e) As a general rule, such long leave as Study Leave, Sabbatical Leave, Extra Ordinary Leave can be availed from the commencement of the academic session and no teacher would be permitted to proceed on long leave while the academic session is in progress and continuing.

2.**The Leave Rules, as laid down by the University Grants Commission, and as amended from time to time, will be followed for the University Teachers.**

3.**Commencement and Termination of Leave:**

a) Leave ordinarily begins from the date on which leave as such is actually availed of and ends on the day preceding on which duty is resumed.

b) Weekly holidays or other public holidays (except vacations) may be prefixed as well as suffixed to leave.

c) Teachers are normally expected to be present on the last day of the academic session and on the opening day of the session after a vacation. However, in exceptional or special circumstances, combination of vacations at one end might be allowed by the Vice-Chancellor to any kind of leave except casual leave.

4.**Return to Duty on Expiry of Leave:**

a) Except with the permission of the authority which granted the leave, no person on leave may return to duty before the expiry of the period of leave granted to him.

5.**Combination of Leave:**

a) Except as otherwise provided in these rules, any kind of leave under these rules may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave.

6.**Grant of Leave Beyond the Date of Retirement and on Resignation:**

a) No leave shall be granted beyond the date on which a teacher must retire, provided that a teacher may be paid each equivalent of leave salary in respect of the period of earned leave at his credit at the time of retirement on superannuating subject to the following conditions:

i) The payment of cash equivalent of leave salary for earned leave shall be limited to 300 days.

ii) In respect of a teacher who retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall suo-motu issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at the credit of the teacher on the date of his retirement subject to a maximum of 300 days.

IndiaCode

iii) The cash payment will be equal to leave salary as admissible for earned leave and dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement. No city compensatory allowance and/or rent allowance shall be payable.

iv) The cash payment for unutilized earned leave shall equivalent to the pay admissible on the date of superannuation plus dearness allowance for the number of unutilized earned leave at the date of superannuation subject to maximum of 300 days.

v) A teacher who is re-employed after retirement may, on termination of his re- employment, be granted suo-moto by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment; subject to a maximum of 300 days, including the period for which encashment was allowed at the time of retirement.

vi) A teacher can also avail of, as leave preparatory to retirement, a part of earned leave at his credit. In that case, he will be allowed benefits of this rule for the earned leave that remains at credit on the date of retirement in accordance with the terms and conditions stipulated in this rule.

vii) A teacher already on leave preparatory to retirement who has been allowed to return to duty shall also be entitled to benefit under this rule on the date of retirement.

viii) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of a teacher who retires from service on attaining the age of superannuation while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings against him. On conclusion of the proceedings, he will become eligible to the amount so withheld after adjustment of University's dues, if any.

7.**Conversion of one kind of Leave into another kind:**

a) At the request of the teacher, the sanctioning authority may convert any kind of leave retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the teacher cannot claim such conversion as a matter of right.

b) The conversion of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the teacher, that is to say, any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrears due to him shall be paid.

c) Extra Ordinary Leave granted on medical certificate or otherwise may be converted retrospectively into leave not due subject to the provisions of Rule 9 (Leave not due).

8.**Rejoining of Duty on return from Leave on Medical Grounds:**

a) A teacher who has been granted leave on medical certificate will be required to produce a medical certificate of fitness before resuming duties in such manner and from such persons as may be prescribed.

b) The authority competent to grant leave may in its discretion, waive the production of a medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days at a time on medical ground. Such leave shall not however, be treated as a leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical grounds.

9.**Increment during Leave:**

a) If the increment falls during leave other than casual leave or special causal leave, the effect of increase of pay will be given from the date the employee resumes duty without prejudice to the normal date of his increment.

b) No permanent employee shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding three years.

c) When an employee does not resume duty after availing leave for continuous period of three years, or whether an employee after the expiry of his leave remains absent from duty, otherwise than on

foreign service or on account of suspension, for any period which together with the period of leave granted to him exceeds three years his lien shall, unless the Executive Council in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be deemed to have terminated and he shall cease to be in the University service.

10. **Absence after Expiry of Leave:**

a) Unless the authority competent to grant leave extends the leave, a University employee who remains absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence and period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave, to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being Treated as extra-ordinary leave.

b) The leave account except casual and compensatory leave shall be maintained for each teacher in the Office of the Registrar.

c) The order sanctioning earned leave half pay leave to a teacher shall thereafter indicate the balance of such leave at his credit.

11. **Leave Salary:**

a) Except as provided in these rules, a teacher on earned leave is entitled to leave salary equivalent to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

b) Teacher on half pay leave or leave not due is entitled to leave salary' equal to half the amount specified in sub-rule(l).

c) A teacher on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under sub-rule(l).

d) A teacher on extra ordinary leave is not entitled to any leave salary.

e) A teacher who is granted leave beyond the date of retirement or quitting of service, as the case may be, shall be entitled during such leave, to leave salary as admissible under the rules in lump sum for the entire period of such leave as one time settlement, reduced by the amount of pension and pension equivalent of other retirement benefits.

f) Where such teacher is re-employed during such leave, the leave salary shall be restricted to the amount of leave admissible while on half pay leave and further reduced by the amount of pension and pension equivalent of other retirement benefits. Provided that it shall be open to the teacher not to avail himself of the leave but to avail of full pension

12. **Advance of Leave Salary:**

a) The advance in lieu of leave salary admissible to a teacher proceeding on leave of not less than thirty days shall include allowances as well subject to deduction on account of income tax, provident fund, house rent recovery of advance etc.

b) In case a teacher who dies in harness, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got, had he gone on earned leave, but for the death, due and admissible, on the date immediately following the date of death, subject to a maximum of leave salary for 300 days, shall be paid to his family. Further, such cash equivalent shall not be subject to reduction on account of pension equivalent of death-cum- retirement, gratuity.

c) Half Pay Leave up to a maximum of 180 days shall be allowed to be commuted during the entire service where such leave is utilized for an approved course of study i.e. a course which is certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority.

13. **Teacher appointed on Probation:**

a) A teacher, appointed as a probationer against a substantive vacancy and with definite terms of probation, shall during the period of probation be granted leave which would be admissible to him if he held his post substantively otherwise than on probation.

b) If for any reason it is proposed to terminate the services of a probationer, any leave granted to him should not extend beyond the date on which the probationary period expires or any earlier date on which his services are terminated by the orders of the Executive Council.

IndiaCode

c) On the other hand, a teacher appointed 'on probation' to a post, not substantively vacant to assess his suitability to the post shall until he is substantively confirmed, be Treated as a temporary teacher for purposes of grant of leave.

d) If a person in the permanent service of the University is appointed on deputation to a higher post he shall not, during probation, be deprived of the benefit of leave rules applicable to his permanent post.

14. **Temporary Teacher:**

a) The teachers appointed on temporary basis in the University are entitled to the same privileges of leave and annual increments as are given to permanent teachers.

ANNEXURE - I

OFFICE OF THE REGISTRAR
MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY
MOTIHARI, DISTRICT – EAST CHAMPARAN, BIHAR

FORM OF BOND FOR STUDY LEAVE

Form of bond to be executed by the employees of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, MOTIHARI, DISTRICT – EAST CHAMPARAN, BIHAR on a Non-judicial stamp paper of the value of Rs.10/- (According to the Stamp Act, if the value of the Bond is Rs.1000/- then the stamp would be Rs.10/- only but if it exceeds, than a stamp of Rs.5/- per Rs.500/- in excess of Rs.1000/-).
THIS BOND is executed on the _____ day of _____ two thousand _____ by Shri/Smt./Km. _____ S/O, D/O, W/O _____ (hereinafter called 'the employee') in favour of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, being a Central University under an Act of Parliament (hereinafter called 'the UNIVERSITY'). Whereas the UNIVERSITY upon an application made by the Employee has granted to the Employee Study Leave for a period of _____ from _____ to _____ for the purpose of _____ in pursuance of Resolution No _____passed by the Executive Council of the UNIVERSITY in its meeting held on _____And whereas the Employee has agreed to accept the said leave on the terms, and conditions laid down by the UNIVERSITY under, as applicable NOW IT IS HEREBY COVENANTED BY THE EMPLOYEE as follows:-

1. That the Employee availing himself/herself of Study Leave undertake that he/she shall serve the UNIVERSITY for a continuous period of at least three years to be calculated from the date of his/her resuming duty after expiry of the Study Leave.

2. That the employee binds himself/herself under this Bond for the due fulfilment of the conditions and give security of Immovable property to the satisfaction of the Finance Officer, or a fidelity bond of an insurance company or a guarantee of a scheduled Bank or furnish a security of two permanent teachers for the amount which shall become refundable to the University, in case of non-joining of the said employee or fails to satisfy the other imposed conditions, in facts or in law.

3. That if the Employee, who is granted Study Leave on full, half or no pay, either fails to complete his studies within the period of Study Leave or with a maximum period of 5 years or fails to rejoin the service of the MGCU on the expiry of his/her Study Leave or fails to complete the prescribed period of service after rejoining the service which he/she has covenanted to perform as Clause 1 or he/she is dismissed or removed from the service by the University within the said period, then the said employee hereby binds himself/herself, his/her heirs, executors, representatives or assigns to pay back to the University, the amount of leave salary and allowances and other expenses incurred on him/her or paid to him/her behalf to others in connection with his/her course of study or research pursuit, together with the interest or such proportion thereof as the Executive Council may fix in its discretion, from time to time.

4. Should the Employee be refused extension applied for and he/she does not rejoin duty on the expiry of his/her Study Leave originally sanctioned, he/she will be deemed to have failed to rejoin the service of the MGCU on the expiry of his/her Study Leave for the purpose of recovery of the amount payable to the University under this Bond.

In witness thereof the Employees puts his/her signature to this Bond on the day aforesaid.

EMPLOYEE

Name: _____
S/o, D/o, W/o_____
RO _____ _____
In the presence of the Officer of the MGCU
In the presence of: _____

REGISTRAR
Mahatma Gandhi Central University
(Stamp)

Witnesses:

1. Name : _____
S/o, D/o, W/o _____
R/o _____

2. Name:_____
S/o, D/o, W/o _____
R/o _____

ANNEXURE - II

FORM OF SURETY BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, _____S/O, D/O, W/O _____, permanently resident of _____, presently resident of _____, employed as_____ with _____ in the present scale of _____ (hereinafter called the 'Surety') am held and firmly bound up to the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, a Central University ESTABLISHED UNDER THE CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT 2014 acting through its Registrar in the sum of an amount calculated by the Registrar with interest as specified and all costs incurred, legal or otherwise, as also all expenses incurred by or occasioned by the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY AND I hereby voluntarily and truly bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives firmly by these Presents putting my hand herein below on this the _____ day of _____, 20____.

WHEREAS the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY has agreed to grant/accord to _____ S/O _____ R/O_____ employed as _____ (hereinafter called the Teacher of University/Employee of the University) at his/her own request Study Leave as per Ordinance _____ of the CENTRAL UNIVERSITIES ACT 20__ vide an office order bearing no._____dated_____issued by_____.

AND WHEREAS the said Teacher of the University has undertaken vide a Bond duly executed by him/her on _____, binding himself/herself for the due fulfilment of the conditions incorporated in Ordinance _____ of the University.

AND WHEREAS in consideration of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY having agreed to grant / accord the Study Leave to the Teacher/Employee of the University, the Surety herein has consented / agreed to execute this Bond with such conditions as are written hereunder:-

The Surety herein shall stand discharged from the obligations of this Bond if the Teacher/Employee of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY pays all such sums (inclusive of costs, clerkages, and expenses (legal or otherwise) as calculated by the Registrar of MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY or any other Officer authorized on his behalf for any default commissioned by the said Teacher/Employee of the University in violation of the terms and conditions of the Bond executed by him/her on _____ or non-fulfillment of the requirements of Ordinance _____.

BUT SO NEVERTHELESS that if the said Teacher / Employee of the University shall die or become insolvent or any time ceases to be in the service of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY or for any reason whatsoever, the whole or part of the Liability (as the case may be) imposed upon him/her by the University shall remain unpaid/unsatisfied, the same shall become immediately payable and due to the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY by the Surety herein in one installment by virtue of this Bond. The obligation undertaken by the Surety herein shall not be discharged or in any way affected by an extension of the Study Leave granted to the said Teacher / Employee of the University whether with or without the knowledge of the Surety herein.

Signed by the Surety on this the _____ day of _____, 20___.

(_____)
Signature of Surety

Designation & Seal
In the present of:
1._____
2._____

(Name and Designation of the Witnesses)

ANNEXURE - III

FORM OF SURETY BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, _____ son of _____ permanently resident of House No. _____, street name and No. _____, employed / self-employed as _____ , having Permanent Account No. _____ with the Income Tax Authorities (hereinafter called the 'Surety') am held and firmly bound up to the Central Universities Act, 2009 action through its Registrar in the sum of an amount calculated by the Registrar with interest as specified and all costs incurred, legal or otherwise, as also all expenses incurred by or occasioned by the Mahatma Gandhi Central University AND I hereby voluntarily and truly bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives firmly by these Presents putting my hand herein below on this the _____ day of _____, 20___.

WHEREAS the Mahatma Gandhi Central University has agreed to grant/accord to _____, S/o _____, resident of _____, employed as _____ (hereinafter called the Teacher of the University/Employee of the University) at his/her own request Study Leave as per Ordinance No. 14 of the Mahatma Gandhi Central University vide an office order bearing no. _____ dated _____ issued by _____ .

IndiaCode

And WHEREAS the said Teacher of the University has undertaken vide a bond duly executed by him/her on _____, binding himself/herself for the due fulfillment of the conditions incorporated in Ordinance No. 13 of the University.
AND WHEREAS I am the true and lawful owner of immoveable property/properties the details of which are laid out herein below:

S. NO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY	SITUATED AT	AREAS	ESTIMATED VALUATION
1				
2				
3				

(True copies of the relevant documents of the said properties are annexed herewith for the perusal and satisfaction of the Finance Officer, MGCU)

AND WHEREAS in consideration of the Mahatma Gandhi Central University having agreed to grant/accord the Study Leave to the Teacher/Employee of the University, the Surety herein has consented/agreed to execute this Bond with such conditions as are written hereunder:-

(i) The Surety Herein shall stand discharged from the obligations of this Bond if the Teacher/Employees of the Mahatma Gandhi Central University pays all such sums (inclusive of costs, clerkages, and expenses (legal or otherwise) as calculated by the Registrar of Mahatma Gandhi Central University or any other officer authorized on his behalf for any default commissioned by the said Teacher/Employee of the University in violation of the terms and conditions of the Bond executed by him/her on _____ or non-fulfillment of the requirements of Ordinance _____ .

(ii) BUT SO NEVERTHELESS that if the said Teacher / Employees of the University shall die or become insolvent or any time ceases to be in the service of the Mahatma Gandhi Central University or for any reason whatsoever, the whole or part of the liability (as the case may be) imposed upon him/her by the University shall remain unpaid/unsatisfied, the same shall become immediately payable and due to the Mahatma Gandhi Central University by the Surety herein in one installment by virtue of this Bond.

(iii) The obligation undertaken by the Surety herein shall not be discharged or in any way affected by an extension of the Study Leave granted to the said Teacher / Employee of the University whether with or without the knowledge of the Surety herein.

Signed by the Surety on this the _____ day of _____ 20___.

(_____)
Signature of Surety
Designation & Seal

IN THE PRESENCE OF:

(Name and Designation of the Witness)

(Affidavit of the Surety)
AFFIDAVIT

I, _____son of _____, resident of _____, do hereby solemnly affirm and declare as under:

That I am the true and lawful owner of the following immoveable property / properties:

S. NO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY	SITUATED AT	AREAS	ESTIMATED VALUATION
1				
2				
3				

I affirm on oath that the said properties have not been sold, transferred, or assigned in favour of anyone whomsoever and command a good marketable title.

That I have stood surety binding myself to Mahatma Gandhi Central University vide a Surety Bond dated _____ and I affirm that I shall not in any way transfer / assign or part with the said properties till my Surety is duly discharged by the said University.

(DEPONENT)

VERIFICATION:
Verified at Motihari on this the _____ day of _____, 20___ that the contents of my above Affidavit are true and correct, no part thereof is false and nothing material has been concealed there from.

(DEPONENT)

ORDINANCE NO: 15

PROCEDURE/NORMS TO BE FOLLOWED BY THE SELECTION COMMITTEE FOR APPOINTMENT TO THE POSTS OF PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, ASSISTANT PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF

1. In order to attract the most talented candidates, the University shall have the policy of rolling advertisements whereby eligible candidates can submit their applications for different faculty positions throughout the year, and all applications received at least 30 days' before the meeting of the Screening Committee shall be considered for being called for the interview.

2. In order to provide equal opportunity to all, the University will also advertise all vacancies on all-India basis in leading national dailies and Employment News giving at least 30 days' time to all eligible candidates to apply.

3. The prescribed application forms for various positions shall be available at request, for a nominal price, as prescribed by the Executive Council of the University from time to time. However, the prescribed application forms may be downloaded from the university website free of cost.

4. Applicants shall be required to pay a nominal application processing fees, as prescribed by the Executive Council of the University from time to time, in the manner prescribed in the advertisement notification. The applicants belonging to the SC/ST/Physically Handicapped category shall, however, be exempted from the payment of application fees.

5. Applicants already in the service/employment shall be required to apply through Proper Channel. They may, however, submit an advance copy of their application. However, the duly forwarded application form along with the No Objection Certificate (NOC) and Verification of the Employer must, however, reach the University at least ten days prior to the date of interview, failing which the applicant may not be called for interview.

6. Applicants shall be required to attach self-attested copies of all the relevant documents in support of their educational qualifications, work experience, research and publications, which they shall be required to produce in original for verification at the time of interview.

7. The terms and conditions with regard to the minimum qualifications and other terms and conditions shall be as prescribed by the UGC from time to time. In addition to the above, the Vice-Chancellor may prescribe, in consultation with the concerned Dean and Head of the Department, to the Academic Council such specification or any other condition as required for the post to be filled up.

8. The fact that a candidate possesses the minimum prescribed qualification and experience, shall not necessarily entitle him/her to be called for interview and that the University shall have the right to restrict the number of candidates to be called for interview by holding Written Screening Examination; based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.

9. No TA/DA and/or local conveyance shall be paid by the University to the candidates called for interview. Outstation candidates belonging to SC/ST categories called for interview shall, however, be paid equivalent to the return single second class railway fare towards their travel expenses on production of Tickets as a proof of their travel.

10. Canvassing in any form either by the candidates himself/herself or by any one on behalf of the candidate will disqualify the candidate.

11. Appointments to the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other Academic Staff shall be made on all India bases on the recommendations of the duly constituted Selection Committee as per Statute 18(2).

12. The Selection Committee shall follow the procedure laid down by the UGC from time to time and that the rules and procedures prescribed by the Government of India in respect of the reserved categories as provided in Section 7 of the Central Universities Act 2009, as amended up to date, shall be strictly adhered to.

13. Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and of the experts nominated by the Executive Council and that the President-Convener shall issue, to each member a Notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting.

14. The President-Convener shall have the power to lay-down the procedure in respect of any matter not mentioned in the Act/Statute/Ordinance. The President-Convener shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in the case of a tie.

15. The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he or she will be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation.

16. The Selection Committee shall have no power to recommend candidates for appointment with condition(s) attached to the occurrence of the future events.

17. The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Executive Council and orders of appointment shall be issued after the approval of the Executive Council in accordance with Statute 12(2)(ii).

18. In case two or more persons are selected on the same date and by the same selection committee, the selection committee shall have the right to specify the seniority in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.

19. The statutory provision relating to the relaxation in age, minimum qualification, experience etc. as prescribed in case of the candidates belonging to SC/ST/OBC/PH categories shall be adhered to.

20. If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age, experience etc., the reasons justifying the same shall have to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.

21. While recommending advance/additional increment(s) to a selected candidate, the Selection Committee shall abide by the rules relating to the additional/advance increment as specified by the UGC regulations. Further, when the Selection Committee considers it fit to recommend a higher initial pay or advance increments to a selected candidate, the reasons justifying the same has to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.

22. The Selection Committee's recommendations, when approved by the Executive Council, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.

23. Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, it would be open to the Executive Council to offer appointment to suitable persons who may not have applied in accordance with Statute 19(1).

24. In cases of any disputes any suites or legal proceedings against the University, the jurisdiction shall be restricted to the Courts in Motihari, District – East Champaran, which is the Headquarter of the University.

[F. No. ADVT.-3/4/Exty./48/17]

Prof. (Dr) ASUTOSH PRADHAN, OSD (Administration)

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.09 12:21:04 +05'30'